

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

बस्तर संभाग में मलेरिया की रोकथाम हेतु प्राप्त आवंटन एवं व्यय

1. (*क्र. 454) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में 2009-10 एवं 2010-11 के माह जनवरी, 2011 तक मलेरिया के कितने मरीजों का परीक्षण किया गया, उनमें से कितने रोगी मलेरिया पोजिटिव पाये गये, कितने मरीजों की मौत हुई ? जिलेवार वर्षवार जानकारी देवें. (ख) मलेरिया की रोकथाम के लिये बस्तर संभाग को उल्लेखित अवधि में कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं किस-किस मद में राशि व्यय की गयी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) उल्लेखित अवधि में रुपये 87785142 आवंटन प्राप्त हुआ. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

सरगुजा जिले के प्रतापपुर एवं वाड्डफनगर में दर्ज 170ख के दर्ज प्रकरणों का निराकरण

2. (*क्र. 1757) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के प्रतापपुर एवं वाड्डफनगर राजस्व अनुविभाग में 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति में 170 “ख” के कुल कितने प्रकरण दर्ज हैं ? (ख) उक्त दर्ज प्रकरण किनके-किनके विरुद्ध कब-कब से दर्ज हैं ? प्रकरणों का निराकरण कब-तक कर लिया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) प्रतापपुर के न्यायालय में 20 प्रकरण एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) वाड्डफनगर के न्यायालय में 2 प्रकरण 170ख के दर्ज हैं. (ख) जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र कर लिया जावेगा, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड का प्रदाय

3. (*क्र. 2281) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत कितने बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जा चुका है तथा कितने परिवार को जारी किया जाना शेष है ? जिलावार दिनांक 24-02-2011 तक की स्थिति में बतायें ? (ख) उक्त स्मार्ट कार्ड से प्रति व्यक्ति/परिवार कितनी राशि का इलाज किया जाता है ? उक्त राशि में से केन्द्र शासन द्वारा देय एवं राज्य शासन द्वारा देय राशि कितनी-कितनी है ? (ग) समस्त बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड कब-तब प्रदान कर दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) स्मार्ट कार्ड से प्रति परिवार (अधिकतम 5 सदस्य) रु. 30,000 का इलाज किया जाता है. उक्त राशि में से केन्द्र शासन द्वारा देय एवं राज्य शासन द्वारा देय राशि निरंक है. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

आर्थिक अनियमितता में संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी का निलंबन/बहाली

4. (*क्र. 2439) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता, गबन, रिश्वतखोरी के प्रकरण कब से दर्ज हैं ? नाम, पदनाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के प्रकरणों में किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को कब-कब निलंबित किया जाकर पुनः सेवा में कब-कब बहाल किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

त्रि-वर्षीय ग्रामीण चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति

5. (*क्र. 2341) **श्री खेदूराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने 03 वर्षीय ग्रामीण चिकित्सा सहायक पंजीकृत हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) क्या 03 वर्षीय ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कितने सहायकों की नियुक्ति की गई है ? जिलेवार जानकारी दें. यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1335 ग्रामीण चिकित्सा सहायक पंजीकृत हैं. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां, 830 को संविदा नियुक्ति दी गई है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं.-4 अनुसार है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक हेतु विज्ञापित पदों पर चयन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

6. (*क्र. 1449) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक (क्लिनिकल/नॉन-क्लिनिकल) के पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या उसमें अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया ? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों का किन-किन पदों हेतु तथा चयनित अभ्यर्थियों को कहां-कहां पदस्थ किया गया ? यदि नहीं, तो कब-तक किया जाएगा ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त चयन के विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. दिनांक 27-09-2008 एवं शुद्धि-पत्र दिनांक 15-05-2009. जी हां. कुल 62 अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक (क्लीनिकल) के पद पर † संलग्न परिशिष्ट अनुसार पदस्थ किया गया. सहायक प्राध्यापक (नॉन क्लीनिकल) के पद हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयन सूची पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इस संबंध में समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (ख) जी हां. शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक प्राध्यापक (क्लीनिकल) पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप तत्कालीन प्रभारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा को निलंबित किया जाकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से तत्समय प्राप्त सहायक प्राध्यापक (नॉन क्लीनिकल) की चयन सूची वापस करते हुये पुनर्विचार कर यथास्थिति संशोधित चयन सूची प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके अनुक्रम में आयोग से चयन सूची अनुशंसा सहित प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

पी.एल. होम में रह रहे शरणार्थियों का पुनर्वास

7. (*क्र. 2355) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 1960-70 के दशक में बांग्लादेश से आये शरणार्थी रायपुर के माना कैम्प स्थित पी.एल.होम में रह रहे कितने शरणार्थियों का पुनर्वास नहीं होने से उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकी है ? (ख) पी.एल.होम में इन्हें कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्तमान में 268 परिवार पी.एल.होम में निवासरत हैं. इन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं है. (ख) पी.एल.होम में निवासरत लोगों को आवास सुविधा, केशडोल, रियायती दर पर चावल, सूची वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएं, विवाह एवं दाह संस्कार अनुदान की सुविधाएं प्रदान की जा रही है.

जिला कोरिया में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित पोषण आहार

8. (*क्र. 975) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 1-04-2010 से 31-01-2011 तक कितने बच्चों को कितनी राशि का पोषण आहार दिया गया है ? विकासखण्डवार एवं माहवार जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

दुर्ग जिले में मजदूरों के पलायन की रोकथाम संबंधी

9. (*क्र. 597) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड के ग्राम दारगांव, मोहरेंगा, मेडेसरा, कोडिया, पोटिया, सहगांव, सेमरिया, तरकोरी, तितुरघाट से कितने ग्रामीण वर्ष 2010 में पलायन कर गये ? (ख) दुर्ग जिले में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड के ग्राम दारगांव, मोहरेंगा, मेडेसरा, कोडिया, पोटिया, सहगांव, सेमरिया, तरकोरी, तितुरघाट से वर्ष 2010 में किसी भी ग्रामीण का पलायन नहीं हुआ है। (ख) दुर्ग जिले में मजदूरों का पलायन रोकने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत किये गये हैं। कार्य के अभाव में किसी भी श्रमिक का पलायन नहीं हुआ है।

महासमुन्द जिले में नक्सली मुठभेड़

10. (*क्र. 2430) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अक्टूबर, 2010 में महासमुन्द जिले के ग्राम-लेडगीडीप में नक्सलियों से मुठभेड़ों में कब, कहाँ-कहाँ पर, कौन-कौन से नक्सली मारे गये ? (ख) उक्त घटना की रिपोर्ट कौन से थाने में, किसके द्वारा कब लिखाई गई ? किन-किन धाराओं में किनके-किनके विरुद्ध, कब अपराध पंजीबद्ध कर किनके-किनके बयान लिये गये तथा बयानों के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) दिनांक 09 अक्टूबर 2010 को महासमुन्द जिले के थाना सांकरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छोटेलोरम नया टुकड़ा, झरनडोंगरी के जंगल में हुई नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में 07 नक्सली मारे गये, जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1. बिरसिंग उर्फ बिरसा गोंड निवासी महाराष्ट्र छ.ग. सीमा
2. नतसा गोंड 20 साल निवासी गट्टाकाल थाना कोयलीबेड़ा जिला कांकेर
3. आयतु गोड़ 30 साल निवासी भैरमगढ़ क्षेत्र जिला बीजापुर
4. अर्जुन गोंड 22 साल निवासी इंद्रावती के उस पार
5. श्याम बाई गोड़ 18 साल निवासी संबलपुर थाना कोयलीबेड़ा जिला कांकेर
6. राजबती गोंड 17 साल निवासी रावघाट क्षेत्र जिला कांकेर
7. एक अज्ञात नक्सली की शिनाख्त नहीं हो सकी।

(ख) उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सांकरा में शासन की ओर से जिला महासमुन्द में पदस्थ उप निरीक्षक प्रार्थी श्री नरेन्द्र यादव पिता स्व. श्री बब्बन यादव उम्र 36 साल के द्वारा दिनांक 09-10-2010 के 15.20 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त रिपोर्ट पर थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 108/10 धारा 302, 307, 120 बी, 121, 122, 147, 148, 149 ताहि. 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 16, 18, 20, 38 (2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अब तक कुल 32 साक्षियों का बयान लेखबद्ध किया जा चुका है। साक्षियों से लिए गए बयान के आधार पर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में खाद्य सामग्रियों के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा

11. (*क्र. 2405) **श्री अमरजीत भगत** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में राशन क्रय हेतु वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में किस-किस दिनांक को निविदा बुलाई गई एवं इस हेतु किन-किन समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : वर्ष 2008-09 में दिनांक 23-05-2008 को, वर्ष 2009-10 में दिनांक 25-04-2009 को एवं वर्ष 2010-11 में निविदा नहीं बुलाई गई. वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में निविदा नवभारत समाचार पत्र के बिलासपुर संस्करण में प्रकाशित हुई.

कुरूद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कार्यकर्ताओं को साईकिल वितरण

12. (*क्र. 360) **श्री लेखराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या, कुरूद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यकर्ताओं को साईकिल का वितरण किया गया ? यदि हां, तो निविदाकर्ता का नाम एवं प्रति साईकिल लागत बतावें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : जी हां. विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित नहीं की गई. साईकिल का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किये गए दर अनुबंध के आधार पर मेसर्स सफारी बाईसिकल्स लिमिटेड, लुधियाना से किया गया. समस्त कर सहित प्रति साईकिल लागत 2546.07/- रुपये है.

प्रदेश में नक्सलियों को राशि प्रदाय की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

13. (*क्र. 1160) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से 31 जनवरी, 2011 कितनी अधिकारियों/ठेकेदारों एवं अन्य लोगों द्वारा नक्सलियों को पैसा दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) इन शिकायतों पर दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि में शासकीय अधिकारियों द्वारा नक्सलियों को पैसे दिये जाने की 02 शिकायत प्राप्त हुई है. इस संबंध में ठेकेदारों व अन्य लोगों द्वारा नक्सलियों को पैसा देने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) प्राप्त शिकायतों में से 01 शिकायत अप्रमाणित होने से नस्तीबद्ध की गई तथा शेष एक शिकायत की जांच जारी है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं रिक्त पदों की पूर्ति

14. (*क्र. 2260) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सत्र 2007 से 25-02-11 तक भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने के लिए कुल कितने भवन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कुल 43 भवनविहीन भवनों के लिए कुल रुपये 403.86 लाख. (ख) 114 पद रिक्त है. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

प्रदेश की जेलों से फरार कैदी एवं अवैध प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती

15. (*क्र. 2399) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2009-10 एवं 2010-11 में किस-किस जेल से कब-कब, कौन-कौन से कैदी फरार हुए एवं 01 मार्च, 2011 की स्थिति में कितने और कौन-कौन से फरार कैदियों को वापस जेल में लाने में सफलता प्राप्त हुई ? (ख) कौन-कौन से जेल में 2009-10, 2010-11 में 28 फरवरी, 2011 तक अवैध प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती हुई ? (ग) फरारी एवं प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती के विरुद्ध कौन-कौन से जेल के, कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हुई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ख) वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय जेल अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर में तथा वर्ष 2010-11 में 28 फरवरी 2011 तक केन्द्रीय जेल अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं उप जेल मनेन्द्रगढ़ में अवैध प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती हुई. (ग) फरारी के लिये दोषी जेल के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में तथा अवैध प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती के लिये दोषी जेल अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में है.

महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेंशन के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

16. (*क्र. 2407) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 28-2-11 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने स्वीकृत किये गये ? वर्षवार जानकारी दें. (ख) लंबित आवेदन का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पेंशन हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	2009-2010		2010-2011	
		प्राप्त	स्वीकृत	(28-02-2011 की स्थिति में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	800	632	739	511
2.	सुखद सहारा	462	417	360	273
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	488	413	711	540
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	5	5	220	197
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	1	1	27	26
6.	राष्ट्रीय परिवार सहायता	211	192	181	121
योग		1967	1660	2238	1668

(ख) लंबित प्रकरण निरंक है.

37वें नेशनल गेम्स हेतु छ.ग. के खिलाड़ियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं

17. (*क्र. 194) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ में 37वें नेशनल गेम्स के लिये खेल मैदान की उपलब्धता है ? यदि हां, तो 5-2-11 तक कितने खेल मैदान तैयार हैं ? (ख) क्या शासन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ? क्या तीरंदाजी को धनुष उपलब्ध कराये गये हैं, इनकी प्रेक्टिस कहां कराई जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) राज्य में खेल मैदान उपलब्ध हैं, परन्तु नेशनल गेम्स खेल मैदानों में आयोजित नहीं किये जाते हैं. (ख) छत्तीसगढ़ शासन खिलाड़ियों का सम्मान निधि, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर नगद राशि पुरस्कार, स्पोर्ट्स स्कालर शिप, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु ट्रेकसूट, राज्य स्तर पर विभिन्न खेल पुरस्कार की सुविधा प्रदान कर रहा है. इसके साथ खेल संघों के माध्यम से राज्य प्रतियोगिता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय तथा खेल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. इसके साथ ही खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा प्रदान किए जाने की नीति शासन द्वारा घोषित की गई है.

तीरंदाजों को धनुष उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग द्वारा खेल संघों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रेक्टिस कराई जाती है। जिसमें निम्नांकित स्थान प्रमुख हैं :—

1. क्रीड़ा परिसर नारायणपुर.
2. प्रियदर्शनी स्टेडियम, कोरबा.
3. वनवासी आश्रम सोनहत, कोरिया.
4. आश्रम धुरली दंतेवाड़ा.
5. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छिंदगढ़, कोंटा, सुकमा, कुआकोंडा, बचेली, कासोमी, गीदम, तुमतर (दंतेवाड़ा)
6. बीटीआई के पीछे मैदान, कांकेर.
7. शासकीय हाई स्कूल मपेल, बगीचा, प्रताप बालक विद्यालय घोलेंग, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर (जिला-जशपुर).
8. राजकुमार कालेज एवं आउटडोर स्टेडियम, रायपुर.
9. खेल परिसर धरमपुरा एवं माता रूकमणी सेवाश्रम, डिमरापार (जगदलपुर).
10. जिला खेल परिसर बिलासपुर, ग्राम पंचायत शिवतराई, विकास खंड कोटा, बिलासपुर.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हितग्राही

18. (*क्र. 2248) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 20-02-2011 तक जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिमाह कितने स्वास्थ्य केन्द्रों में कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है और कितनी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है ? (ख) उक्त अवधि के दौरान कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. वर्ष 2009-10 में रुपये 1213700 एवं वर्ष 2010-11 में रुपये 1594700 प्रोत्साहन राशि वितरित की गयी. (ख) 75 मितानियों को कुल 223650 प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर द्वारा प्रसूती महिलाओं को वितरित सहायता राशि

19. (*क्र. 1099) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जननी सुरक्षा योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर द्वारा वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में किन-किन प्रसूति महिलाओं को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ? पते सहित जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

विधान सभा क्षेत्र कसडोल अंतर्गत संचालित देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानें

20. (*क्र. 1807) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं बलौदाबाजार के आर.आई.सर्किल लवन अंतर्गत वर्तमान में कहां-कहां देशी एवं विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं ? गांव के नाम, गांव की आबादी तथा ठेकेदार की नाम सहित जानकारी दें. (ख) नई आबकारी नीति के तहत उपरोक्त विकासखण्डों में किन-किन गांवों की देशी एवं विदेशी शराब दुकानें बंद की जा रही हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

बागबाहरा आरक्षी केन्द्र में दहेज प्रताड़ना के दर्ज प्रकरण

21. (*क्र. 2435) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागबाहरा आरक्षी केन्द्र में दिनांक 01-01-2010 से 31-01-2011 तक दहेज प्रताड़ना के कितने मामले/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए हैं ? (ख) दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों

में कितने मामले, न्यायालय में पेश कर दिये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बागबाहरा आरक्षी केन्द्र में प्रश्नाधीन अवधि में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं. (ख) दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों में से एक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत (खात्मा रिपोर्ट) किया गया है तथा एक प्रकरण विवेचनाधीन है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रबंध विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों की स्थिति

22. (*क्र. 2422) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखण्ड छुरिया एवं अं. चौकी में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्यों की, कब-कब स्वीकृति प्राप्त हुई ? (ख) स्वीकृत कार्यों की क्रियान्वयन एजेन्सी एवं कार्य पूर्णता/अपूर्णता/अप्रारंभ रहने की स्थिति के बारे में जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत मद से वर्ष 2009-10 में 3 कार्य एवं वर्ष 2010-11 में 3 कार्य स्वीकृत किये गये हैं. विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. विकासखण्ड अं. चौकी में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत मद से वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. (ख) वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में विकासखण्ड छुरिया में स्वीकृत कार्यों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया को कार्य एजेन्सी नियुक्ति किया गया था. कार्य पूर्णता/अपूर्णता/अप्रारंभ रहने की स्थिति के संबंध में जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

23. (*क्र. 2313) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ? भवन विहीन केन्द्र का नाम एवं सहित जानकारी दें. (ख) 31-1-2011 तक की स्थिति में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बनाये जा रहे हैं ? (ग) कितने केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं ? केन्द्रवार रिक्त पद की जानकारी दें रिक्त पद नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र में निर्मित जलाशयों के मुआवजा राशि का भुगतान

24. (*क्र. 587) **श्री रामदयाल उईके** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पाली तानाखार के अंतर्गत निर्मित डोकाबुड़ा जलाशय सिरमिना एवं रामपुर जलाशय के कितने कृषकों को मुआवजा राशि नहीं दी गयी है ? (ख) मुआवजा राशि कब तक प्रदान की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोरबा जिले के डौकाबुड़ा जलाशय सिरमिना के 16 कृषकों को मुआवजा राशि का 20% राशि का भुगतान किया जाना शेष है. रामपुर जलाशय के 112 खातेदारों को भुगतान किया जाना शेष है. (ख) डौकाबुड़ा जलाशय के 16 कृषकों को 80% मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है. पारित अवार्ड की शेष राशि जल संसाधन विभाग द्वारा जमा करने के उपरांत तत्काल भुगतान किया जावेगा. रामपुर जलाशय के 103 खातेदारों को पूर्ण भुगतान तथा 124 को 80% राशि का भुगतान किया जा चुका है. शेष 112 कृषकों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है.

रायपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजनांतर्गत बी.पी.एल. कार्डधारियों को जारी स्मार्ट कार्ड

25. (*क्र. 490) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजनांतर्गत कितने बी.पी.एल. कार्ड धारियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत स्मार्ट कार्ड धारियों का कितनी राशि तक ईलाज किया जाता है ? उक्त योजना कौन-कौन से निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में लागू है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1,52,449 स्मार्ट कार्ड जारी किया गया. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार.
(ख) परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों के लिए रु. 30,000 तक. प्रदेश के निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरनार स्टील प्लांट क्षेत्र में शासन द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा

1. (क्र. 88) **श्री लखमा कवासी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरनार स्टील प्लांट क्षेत्र में सन् 2002 से 15 जनवरी, 2011 तक शासन द्वारा कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? (ख) इनमें कितने शासकीय जमीन हैं और कितनी निजी है ? (ग) मुआवजा राशि किस दर पर प्रदान किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) नगरनार स्टील प्लांट क्षेत्र में वर्ष 2002 से दिनांक 15-01-2011 तक 389.84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया. (ख) शासकीय जमीन-45.38 हेक्टेयर, निजी जमीन-318.74 हेक्टेयर है. (ग) वर्ष 2010 में पुनर्वास नीति में निहित प्रावधान के अनुसार पड़त भूमि के लिए रु. 6.00 लाख प्रति एकड़, असिंचित (एक फसली) भूमि के लिए रु. 8.00 लाख एवं सिंचित (दो फसली) भूमि के लिए रु. 10.00 लाख रु. प्रति एकड़ की दर पर मुआवजा प्रदान किया गया है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत लाभान्वित जोड़े

2. (क्र. 417) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्धन कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 में कितने जोड़े सिहावा विधान सभा क्षेत्र से लाभान्वित हुए हैं ? (ख) लाभान्वित जोड़े को कितनी राशि शासन के द्वारा दी गई है ? इस कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय की गयी ? आयोजन स्थल, तिथि वर्षवार एवं विकासखण्डवार बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रश्नांश अवधि में सिहावा विधान सभा क्षेत्र से 120 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभान्वित किया गया है. (ख) योजना अंतर्गत प्रति कन्या 4000/- रुपये की उपहार सामग्री पर तथा 1000/- रुपये विवाह आयोजन पर व्यय किये जाने का प्रावधान है. प्रश्नांश अवधि में विधान सभा क्षेत्र की लाभान्वित कन्याओं पर 6 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है. शेष जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

बस्तर संभाग में संचालित अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पद

3. (क्र. 456) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में संचालित जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने एम.बी.बी.एस. डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं ? जिलेवार बतावें. (ख) इनमें से कितने पद भरे व कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार बतावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 361 पद स्वीकृत हैं. जगदलपुर-138, कांकेर-66, दंतेवाड़ा-84, नारायणपुर-30 एवं बीजापुर-43. (ख) जगदलपुर-29, कांकेर-40, दंतेवाड़ा-20, नारायणपुर-07 एवं बीजापुर-03 पद भरे हैं तथा जगदलपुर-109, कांकेर-26, दंतेवाड़ा-64, नारायणपुर-23 एवं बीजापुर-40 पद रिक्त हैं.

सरगुजा जिले अंबिकापुर, उदयपुर एवं लखनपुर विकासखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी

4. (क्र. 1100) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या, यह सत्य है कि अंबिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर विकासखण्ड सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या इन विकासखण्डों में ऋण एवं ब्याज वसूली स्थगित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) खरीफ फसल की नजरी औसत आनावारी 2010 के आधार पर आदेश दिनांक 18-10-10 द्वारा सरगुजा जिले के 11 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था जिसमें अंबिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर तहसील शामिल है. (ख) खरीफ फसल वर्ष 2010 की वास्तविक आनावारी के आधार पर तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है. ऐसी स्थिति में ऋण एवं ब्याज वसूली स्थगित करने का प्रश्न अभी उपस्थित नहीं होता.

जिला बस्तर में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा

5. (क्र. 1354) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 में जिला बस्तर में हुई अतिवृष्टि के कारण संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा कुल कितने मकानों को क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था ? तहसीलवार बतावें ? (ख) प्रभावित परिवारों को कितना-कितना मुआवजा स्वीकृत किया गया था ? एवं कितने प्रभावितों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2010 में जिला बस्तर में हुई अतिवृष्टि के कारण कुल 4204 मकान क्षतिग्रस्त घोषित किया गया। तहसीलवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ख) प्रभावित परिवारों को स्वीकृत एवं वितरित मुआवजा राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

भरतपुर सोनहट विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेंशन के पंजीकृत हितग्राही

6. (क्र. 1417) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर सोनहट विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के कितने-कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त पेंशनधारी हितग्राहियों को कितना-कितना मासिक पेंशन प्रदाय किया जाता है ? (ग) 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति में कितने-कितने पेंशन धारियों का पेंशन प्रदाय होना शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) भरतपुर सोनहट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पेंशन हितग्राहियों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम			योग	
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भरतपुर	2550	943	852	506	4851
2.	सोनहट	1344	751	536	72	2703
3.	मनेन्द्रगढ़	1307	1059	892	350	3608
योग		5201	2753	2280	928	11162

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के हितग्राहियों को रुपये 300/- प्रतिमाह एवं अन्य पेंशन योजना के हितग्राहियों को रुपये 200/- प्रतिमाह की दर से नियमित पेंशन दिया जाता है। (ग) 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति में कोई भी पेंशन भुगतान शेष नहीं है।

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं विकलांग पेंशन से लाभान्वित हितग्राही

7. (क्र. 1555) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में एकीकृत राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा योजना एवं विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या कितनी है ? विकासखंडवार पृथक-पृथक बतावें ? (ख) क्या वर्ष 2008 से वर्ष जनवरी 2011 तक उक्त योजनाओं में जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो शेष कितने हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पेंशन योजनाओं में लाभान्वित होने

वाले हितग्राहियों की संख्या विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम			
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जैजैपुर	4965	2678	1851	456
2.	मालखरौदा	3987	2300	1053	192
3.	बम्हनडीह	3139	1155	792	33
योग		12091	6133	3696	681

(ख) वर्ष 2008 से वर्ष जनवरी 2011 तक उक्त योजनाओं में हितग्राहियों को पेंशन भुगतान कर दिया गया है।

प्रदेश में नक्सली वारदातों में शहीदों के परिजनों को प्रदत्त सहायता

8. (क्र. 1556) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2009 से जनवरी 2011 तक प्रदेश में नक्सली हमले एवं मुठभेड़ की कितनी घटनायें हुई हैं ? दिनांक एवं स्थान पृथक-पृथक बतायें ? (ख) प्रदेश में उक्त अवधि में हुए नक्सली घटनाओं में सी.आर.पी.एफ. एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के कितने जवान व अधिकारी शहीद हुए ? घटनावार पृथक-पृथक बतायें ? क्या इन मुठभेड़ में ग्रामीण भी मारे गये थे ? यदि हां तो उनकी संख्या क्या थी ? (ग) नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों के एवं ग्रामीणों के परिजनों को कितनी-कितनी सहायता राशि भुगतान किया गया ? कितने लंबित हैं ? क्या शहीदों के परिजनों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिया गया है ? यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में नक्सली हमले की कुल 667 घटनायें हुई हैं, जिनमें 205 घटनायें मुठभेड़ की हैं। दिनांक एवं स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“क” है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में घटित नक्सली घटनाओं में सी.आर.पी.एफ. के 158 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के 86 जवान व अधिकारी शहीद हुए हैं। घटनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ख” संलग्न है। जी हां, कुल 292 ग्रामीण मारे गये हैं, जिनमें से मुठभेड़ में 02 ग्रामीणों की मृत्यु हुई है तथा अन्य नक्सली हमलों में 290 ग्रामीण मारे गये हैं। (ग) नक्सली हमलों में राज्य पुलिस बल के कुल 86 शहीद जवानों में से 85 शहीद जवानों के परिजनों को 857 लाख रुपये बीमा राशि एवं 725 लाख रुपये एक्सग्रेसिया राशि व केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कुल 170 शहीद जवानों (के. रि. पु. बल-158, बीएसएफ-03, एसएसबी-01, आईटीबीपी-04, सीआईएसएफ-04 जवान) में से 162 शहीद जवानों के परिजनों को 1638.50 लाख रुपये बीमा राशि एवं 486 लाख रुपये एक्सग्रेसिया राशि भुगतान किया गया है। नक्सली हमले एवं मुठभेड़ में मृत कुल 292 ग्रामीणों में से 201 ग्रामीणों के परिजनों को 209 लाख रुपये सहायता राशि का भुगतान किया गया है। राज्य पुलिस बल के 01 शहीद जवान एवं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के 08 शहीद जवानों के परिजनों को बीमा एवं एक्सग्रेसिया राशि दिया जाना शेष है। नक्सली हमले में मृत 91 ग्रामीण के परिजनों को सहायता राशि दिया जाना शेष है। राज्य पुलिस बल के 65 शहीद जवानों के परिजनों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने की कार्यवाही संबंधित केन्द्रीय पुलिस संगठन/भारत सरकार द्वारा की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र कुरूद अन्तर्गत बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त पुल पुलिया के मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

9. (क्र. 1668) **श्री लेखराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरूद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 1 जनवरी, 2009 से 1 जनवरी, 2011 तक बाढ़ आपदा मद में कितने क्षतिग्रस्त पुल पुलिया के मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : कुरूद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 1 जनवरी, 2009 से 1 जनवरी, 2011 तक बाढ़ आपदा मद (आपदा राहत निधि) से क्षतिग्रस्त पुल पुलिया के मरम्मत हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की स्थिति

10. (क्र. 2249) **श्री सौरभ सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कहां-कहां पर कितनी आंगनबाड़ी भवन का काम किस कारण से अधूरा है ? निर्माण एजेन्सी के नाम सहित जानकारी बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

राज्य में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

11. (क्र. 2314) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में एम.बी.बी.एस./आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी के स्वीकृत पद कितने-कितने हैं, और कितने पद रिक्त हैं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : राज्य में एम.बी.बी.एस. के 2601 पद स्वीकृत एवं 1467 पद रिक्त, आयुर्वेदिक के 1017 पद स्वीकृत एवं 104 पद रिक्त, यूनानी के 26 पद स्वीकृत एवं 20 पद रिक्त, होम्योपैथी के 112 पद स्वीकृत एवं 75 पद रिक्त हैं. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिले में अवैध रूप से शासकीय पट्टा प्राप्त हितग्राहियों की भूमि की बिक्री

12. (क्र. 2400) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के रायगढ़ तहसील में सक्षम अधिकारी जिलाध्यक्ष के बिना अनुमति के किन-किन शासकीय पट्टा प्राप्त हितग्राहियों की भूमि 2009-10, 2010-11 में बिक्री की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : रायगढ़ जिले के रायगढ़ तहसील में वर्ष 2009-10, 2010-11 में जिलाध्यक्ष के अनुमति के बिना 13 शासकीय पट्टे की बिक्री हुई है.

छत्तीसगढ़ सह चिकित्सकीय परिषद में पंजीयन बाबत

13. (क्र. 2408) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सकीय परिषद में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 1-3-11 तक लैब टेक्नीशियन, एम.पी. डब्ल्यू. नेत्र सहायक में पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने आवेदकों का पंजीयन किया गया ? (ख) पंजीयन किये जाने का मापदंड क्या है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सकीय परिषद् में लैब टेक्नीशियन का कोई पाठ्यक्रम पंजीकृत नहीं है. एम.पी.डब्ल्यू. एवं नेत्र सहायकों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विधवा/वृद्धा पेंशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण

14. (क्र. 2417) **श्री रामदेव राम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को निराश्रित वृद्धा पेंशन/निराश्रित विधवा पेंशन प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) 31 जनवरी, 2011 तक पेंशन के कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब-तक किया जावेगा ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) सरगुजा जिले के विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 7247 हितग्राहियों तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 883 विधवा, सुखद सहारा योजना के 1911 विधवा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1101 विधवा कुल 3895 विधवा हितग्राहियों को पेंशन प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) 31 जनवरी 2011 तक

पेंशन के लंबित प्रकरण विकासखण्डवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	विधवा पेंशन प्रकरण			
			सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत	सुखद सहारा योजना अंतर्गत	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत	कुल लंबित विधवा प्रकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लुण्ड्रा	16	15	38	-	53
2.	लखनपुर			निरंक		
3.	अम्बिकापुर			निरंक		

लंबित प्रकरणों का निराकरण 31-03-2011 तक कर लिया जावेगा.

ग्राम कुण्डा में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर संबंधी

15. (क्र. 2431) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार कितने-कितने पद भरे/खाली हैं ? (ख) दिनांक 12-01-2011 को ग्राम-कुण्डा में निःशक्तजनों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आयोजित शिविर में कितने व्यक्तियों का परीक्षण कर प्रमाण-पत्र दिया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 129 पद भरे हैं एवं 121 पद खाली हैं. (ख) 18 व्यक्तियों को.

महासमुन्द जिला में चिकन पॉक्स (छोटी माता) एवं चिकन गुनिया से प्रभावितों की जानकारी

16. (क्र. 2434) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में 28-02-2011 तक महासमुन्द जिला में चिकन पॉक्स (छोटी माता) एवं चिकन गुनिया से कितने व्यक्तियों के प्रभावित होने की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : चिकन पॉक्स (छोटी माता) के 79 एवं चिकन गुनिया के किसी भी व्यक्ति के प्रभावित होने की जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है.

मलेरिया फील्ड वर्करों के फर्जी नियुक्ति एवं उनके विरुद्ध वेतन आहरण संबंधी

17. (क्र. 2438) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मलेरिया कार्यालय रायपुर में मलेरिया 28-2-2011 की स्थिति में कितने मलेरिया फील्ड वर्कर कार्यरत हैं ? (ख) क्या कंडिका "क" के कर्मचारियों के नाम से फर्जी आहरण कर गबन करने संबंधी शिकायतें विभाग को मिली है ? यदि हां, तो कब और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 172 मलेरिया फील्ड वर्कर कार्यरत हैं. (ख) जी हां. दिनांक 22-11-2010 को. जांच प्रक्रियाधीन है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर नार स्टील प्लांट हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

1. (क्र. 72) **श्री लखमा कवासी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर नार स्टील प्लांट क्षेत्र में वर्ष 2002 से 22-01-2011 तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों से कितनी जमीन अधिग्रहित की गई ? (ख) शासकीय जमीन का रकबा एवं कृषकों से अधिग्रहित जमीन का रकबा बतायें ? (ग) मुआवजा राशि किस दर पर आवंटित की गयी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) नगरनार स्टील प्लांट क्षेत्र में वर्ष 2002 से दिनांक 22-01-2011 तक कृषकों की 318.74 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई. (ख) अधिग्रहित शासकीय जमीन का रकबा-45.38 हेक्टेयर एवं कृषकों की अधिग्रहित जमीन का रकबा-318.74 हेक्टेयर है. (ग) वर्ष 2010 में पुनर्वास नीति में निहित प्रावधान के अनुसार पड़त भूमि के लिये रु. 6.00 लाख प्रति एकड़, असिंचित (एक फसली) भूमि के लिये रु. 8.00 लाख एवं सिंचित दो फसली भूमि के लिये रु. 10.00 लाख की दर पर मुआवजा प्रदान किया गया है.

बस्तर क्षेत्र में पदस्थ पुलिस विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पद

2. (क्र. 340) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में पुलिस विभाग में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक एवं निरीक्षण के कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) स्वीकृत पद में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक के कितने पद रिक्त हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बस्तर संभाग में पुलिस विभाग में आरक्षक-6514, प्रधान आरक्षक-1210, सहायक उप निरीक्षक-461 एवं निरीक्षक-133 पद स्वीकृत हैं. (ख) स्वीकृत पद में आरक्षक के-393, प्रधान आरक्षक के-443, सहायक उप निरीक्षक के-189 एवं निरीक्षक के 50 पद रिक्त हैं.

राज्य में राजीव गांधी व्यस्क छात्रा रोजगार योजना हेतु केन्द्र से प्राप्त अनुदान

3. (क्र. 573) **श्री सौरभ सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी व्यस्क छात्रा रोजगार योजना सबला योजना राज्य के किन-किन जिलों में लागू है ? (ख) इस योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान शासन से प्राप्त हुआ है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत राजीव गांधी व्यस्क छात्रा रोजगार योजना संचालित नहीं की जा रही है. विभाग अंतर्गत राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-सबला योजना प्रदेश के 5 जिलों-रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर एवं सरगुजा में लागू हैं. (ख) सबला योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई है. अतः विगत 3 वित्तीय वर्षों में भारत शासन से प्राप्त अनुदान निरंक है. वित्तीय वर्ष 2010-11 में सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिये पूरक पोषण आहार हेतु भारत शासन से 668.91 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त हुई है.

पाली-तानाखार क्षेत्र में हाई एक्सटेंशन टावर एवं पिलहर से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

4. (क्र. 593) **श्री रामदयाल उईके** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला के अंतर्गत पाली तानाखार क्षेत्र के हाई एक्सटेंशन टावर एवं पिलहर से कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि प्रभावित हुई है ? (ख) क्या प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किसानों को कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक मुआवजा राशि प्रदान की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) पाली तहसील के 174 किसानों की 3.67 एकड़ तथा पौड़ीउपरोड़ा के 532 किसानों की 3.78 एकड़ भूमि प्रभावित हुई है. (ख) जी हां. केवल फसल/वृक्ष क्षति हेतु मुआवजा भुगतान किया जाता है. पाली तहसील के 174 कृषकों को देय 9,33,275/- रुपये में से 6,26,783/- रुपये मुआवजा भुगतान किया जा चुका है. पौड़ीउपरोड़ा तहसील के 532 प्रभावित कृषकों को 31,44,894/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है. (ग) पाली तहसील के कृषकों को शेष 3,06,492/- रुपये का मुआवजा भुगतान किया जा रहा है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्व सहायता समूह को दिये गये अनुदान एवं ऋण

5. (क्र. 1105) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र की किन-किन पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में स्वरोजगार हेतु शासन के द्वारा अनुदान एवं ऋण दिया गया ? (ख) उल्लेखित वर्षों में किन-किन महिला स्व सहायता समूह ने स्वरोजगार हेतु अनुदान एवं ऋण के लिए संबंधित कार्यालयों में आवेदन किया था ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रश्नाधीन जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) प्रश्नाधीन जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हितग्राही को स्मार्ट कार्ड का वितरण

6. (क्र. 1106) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की चिकित्सा सुविधा हेतु स्मार्ट कार्ड वितरण कब से प्रारंभ किया गया है ? (ख) उक्त योजना में दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक कितने पात्र हितग्राही को स्मार्ट कार्ड प्रदाय किया जा चुका है और कितनों का प्रदान किया जाना शेष है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रथम वर्ष में माह जुलाई 2009 से एवं द्वितीय वर्ष में माह अगस्त 2010 से. (ख) 16,988 को. 7,633 शेष है.

राजिम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

7. (क्र. 1321) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजिम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कहां-कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? (ख) कंडिका “क” के स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों में स्टाफ पदस्थ हैं ? यदि नहीं, तो रिक्त पद बतावें ? (ग) कंडिका “ख” के रिक्त पदों पर पदांकन कब किया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” के कॉलम-6 अनुसार. सभी स्वीकृत पदों पर नहीं. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” के कॉलम-8 अनुसार. (ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

प्रदेश में संजीवनी कोष से लाभांशित हितग्राही

8. (क्र. 1358) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-01-2009 से 31-12-2010 तक की अवधि में संजीवनी कोष से ईलाज हेतु प्रदेश के कुल कितने लोगों को सहायता पहुंचाई गई है ? जिलेवार लाभान्वितों की संख्या देवें ? (ख) लाभान्वितों में से हृदय के ऑपरेशन हेतु सहायता प्राप्त कितने लोग हैं ? जिलेवार आंकड़े दिये जायें ? (ग) हृदय के ऑपरेशन हेतु प्रश्नांश अवधि में किस-किस संस्थान (अस्पताल) को संजीवनी कोष से कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 460 लोगों को. †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं.-03 अनुसार. (ख) 349 लोग. †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं.-04 अनुसार. (ग) एस्कर्ट हार्ट सेन्टर, रायपुर को रु. 2,68,59,954, रामकृष्ण केयर हास्पिटल रायपुर को 7,53,500, अपोलो बी.एस.आर. भिलाई को रु. 6,30,000 एवं अपोलो अस्पताल बिलासपुर को रु. 4,70,000.

प्रदेश में एन.जी.ओ. द्वारा संचालित कार्य तथा प्रदत्त अनुदान/सहायता

9. (क्र. 1360) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से एन.जी.ओ. क्या-क्या कार्य, कहां-कहां कर रहे हैं ? (ख) शासन स्तर पर एन.जी.ओ. को वर्ष 2009-10 में कितनी आर्थिक सहायता/अनुदान किस-किस कार्य के लिए प्रदान किया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

जिला जांजगीर-चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की संख्या

10. (क्र. 1560) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : जिला जांजगीर-चांपा में 1678 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 1639 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नामांतरण के लंबित प्रकरणों का निराकरण

11. (क्र. 1599) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में नामांतरणों के लंबित प्रकरणों की संख्या कितनी है ? पटवारी हल्कानुसार जानकारी दें ? (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31-12-2010 की स्थिति में नामांतरण के कुल कितने प्रकरण निपटाए गए ? निपटाए गए प्रकरणों में कितने प्रकरण विवादित नामांतरण के हैं ? पटवारी हल्कावार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में नामान्तरणों के लंबित प्रकरणों की संख्या 81 है. पटवारी हल्का अनुसार जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में कुल 4448 नामान्तरण के प्रकरण निपटाये गये. निपटाये गये प्रकरणों में 124 प्रकरण विवादित नामान्तरण के हैं. जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है.

कुरुद विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित ग्राम

12. (क्र. 1669) **श्री लेखराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के कुरुद विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम को वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है ? (ख) अतिवृष्टि से प्रभावित कितने लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) धमतरी जिले के कुरुद विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम को वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

कुरुद विधान सभा क्षेत्र में सीमांकन/नामांतरण/बंटवारे के लंबित प्रकरण

13. (क्र. 1670) **श्री लेखराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी जिले के कुरुद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील/उपतहसीलों में अविवादित सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारे के कुल कितने प्रकरण 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में पटवारी हल्कावार लंबित है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : धमतरी जिले के कुरुद विधान सभा क्षेत्र के तहसील कुरुद, मगरलोड, उपतहसील भखारा में 31 जनवरी 2011 की स्थिति में अविवादित नामांतरण, बंटवारा, प्रकरण किसी भी पटवारी हल्का में लंबित नहीं पाये गये हैं. सीमांकन के प्रकरण लंबित पाये गये थे जिसे निराकरण कर लिया गया है. इन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	गांव का नाम	पटवारी हल्का नं.	प्रकरण संख्या
1.	कुरुद	कठौली	29	01
		कोड़ेबोड़	7	01
2.	मगरलोड	बुढ़ेनी	8	02
3.	भखारा	सिहाद	21	01
		पचपेड़ी	18	01
		भैंसबोड़	12	01
योग				07

विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में सहकारी सोसायटी द्वारा क्रय धान तथा बारदानों की पूर्ति

14. (क्र. 1722) **श्री चैतराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा के अन्तर्गत वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 किन-किन बैंक सोसायटियों द्वारा धान खरीदी केन्द्र कहां-कहां पर संचालित किये गये हैं ? (ख) उक्त सोसायटियों को कितने मात्रा में बारदाना वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में दिनांक 15-02-2011 में उपलब्ध कराये गये हैं ? (ग) कौन-कौन सी सोसायटी में, कितने-कितने बारदाने की खरीदी की गई तथा कुल कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) वर्ष 2009-10 में सिमगा विकासखण्ड की केवल एक चौरंगा सोसायटी द्वारा 467 नग बारदाने की खरीदी की गई. विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा की सभी सोसायटियों द्वारा की गई कुल धान खरीदी की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

रायगढ़ जिले के कोटवारों को आवंटित शासकीय भूमि के विक्रय संबंधी

15. (क्र. 1929) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कितने कोटवारों को शासकीय भूमि आवंटित की गई है ? (ख) कितने कोटवारों द्वारा आवंटित सेवा भूमि को बेच दिया गया है ? (ग) क्या उक्त भूमि को बेचने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में किसी भी कोटवार को शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गई है. (ख) किसी भी कोटवार द्वारा शासकीय सेवा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

विकासखण्ड-खड़गवां के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषक आहार का प्रदाय

16. (क्र. 2002) **श्री दीपक कुमार पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खड़गवां विकासखण्ड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01-01-2009 से 31-12-2010 की स्थिति में कितने बच्चों को कितनी राशि का पोषक आहार दिया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : कोरिया जिले के बाल विकास परियोजना खड़गवां अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 01-01-2009 से 31-12-2010 तक औसत रूप से प्रति माह कुल 10,956 बच्चों को कुल राशि रु. 1,25,01,528/- का पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया है.

बलौदा तथा अकलतरा तहसील के पटवारी हल्कों का कम्प्यूटरीकरण

17. (क्र. 2256) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा और अकलतरा तहसील के कौन-कौन से पटवारी हल्कों का नक्शा सहित शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हो गया है तथा कौन-कौन से, कहां के, कितने शेष हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा और अकलतरा तहसील के सभी पटवारी हल्कों के खसरा तथा बी-1 का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हो गया है. नक्शों का अपडेशन कार्य जारी है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत “निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन” तथा “निशक्तजन छात्रवृत्ति” योजना से लाभान्वित हितग्राही

18. (क्र. 2257) **श्री सौरभ सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2009 और 2010 में किन-किन गांव के कौन-कौन से निशक्तजनों को “निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” और “निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना” से कब-कब कितनी राशि का लाभ मिला है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009 और 2010 में “निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” अंतर्गत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार तथा “निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना” अंतर्गत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार राशि दी गई है।

पामगढ़ क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

19. (क्र. 2317) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वा. केन्द्रों में कितने-कितने कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं ? कितने-कितने पद रिक्त हैं ? 31-01-2011 की स्थिति में केन्द्रवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : विधान सभा क्षेत्र पामगढ़ में 04 अधिकारी एवं 99 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 16 अधिकारी एवं 51 कर्मचारी के पद रिक्त हैं. † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

जिला जांजगीर-चांपा के चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी

20. (क्र. 2318) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के जिला चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों कर्मचारी की दिनांक 31-01-11 की स्थिति में विकासखण्डवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

ऋण माफी योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की जानकारी

21. (क्र. 2361) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 01-03-2011 तक कुल कितने प्रकरण तैयार कर कितने किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

कसडोल थाने में चोरी के दर्ज प्रकरण

22. (क्र. 2362) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 14 फरवरी, 2008 को कसडोल थाने में किन-किन के द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? (ख) दर्ज रिपोर्ट पर संदेह के आधार पर किन-किन प्रकरणों में कितने लोगों को पुलिस अभिरक्षा (रिमाण्ड) पर लिया गया था ? नाम तथा रिमाण्ड पर लेने तथा छोड़ने की तारीख बतावें ? (ग) क्या यह सत्य है कि पुलिस रिमाण्ड पर लिये गये किसी व्यक्ति की मौत हो गई ? यदि हां तो उसका नाम तथा मृत्यु का कारण बतावें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) दिनांक 14 फरवरी 2008 को कसडोल थाने में किसी ने भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं.

प्रदेश में संचालित होम्योपैथी चिकित्सा कालेजों की मान्यता

23. (क्र. 2372) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय तथा कितने होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय किन-किन स्थानों पर आयुष विश्वविद्यालय एवं सेन्ट्रल काउन्सिलिंग ऑफ होम्योपैथी से मान्यता प्राप्त कर संचालित हैं ? संचालित महाविद्यालय की जानकारी तथा मान्यता तिथि क्रमांक सहित स्थानवार

बतावें. (ख) क्या वर्ष 2009-10 के लिए बिना मान्यता किसी कालेज को आयुष विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान की गई थी ? (ग) यदि हां तो बिना मान्यता के विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु दोषी कौन-कौन थे ? एवं इस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में 03 आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय तथा 03 होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय से संबद्धता एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद से मान्यता प्राप्त कर संचालित है. † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी नहीं. (ग) प्रश्नांश “ख” के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु प्रदत्त आवंटन एवं व्यय

24. (क्र. 2401) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले में पल्स पोलियो, एड्स, क्षयरोग, अंधत्व निवारण के नियंत्रण एवं प्रचार-प्रसार एवं अन्य व्यय के लिए 2009-10, 2010-11 में 25 फरवरी, 2011 तक जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में मदवार कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब, किसे किया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

जिला महासमुंद से पलायन संबंधी जानकारी

25. (क्र. 2413) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 दिनांक 15 फरवरी, 2011 तक कितने लोगों ने महासमुन्द जिले से पलायन किया ? विधान सभावार बतायें ? (ख) उक्त वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पलायन रोकने हेतु महासमुंद जिले को कितनी राशि दी गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) महासमुन्द जिले से वर्ष 2009-10 में 249 एवं 2010-11 में 15 फरवरी 2011 तक 976 लोगों ने परम्परागत रूप से अधिक मजदूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से जिले से बाहर गये हैं. विधान सभावार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विधान सभा का नाम	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
1.	महासमुन्द	0	170
2.	खल्लारी	78	247
3.	बसना	171	408
4.	सरायपाली	0	151
योग		249	976

(ख) उक्त वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है :—

(राशि लाख रुपये में)					
क्र.	योजना का नाम	वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	राज्य शासन से प्राप्त राशि	योग
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	2009-10	5824.35	647.149	6471.499
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	2010-11	8864.79	984.976	9849.766
2.	मांग संख्या-58 सूखा राहत मद	2009-10	129.75	43.25	173.00
	मांग संख्या-58 सूखा राहत मद	2010-11	0	0	0

जिला महासमुन्द जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन

26. (क्र. 2414) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले के तहत वर्ष 2011 में किन-किन तारीखों में किन-किन ब्लकों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया ? (ख) इन शिविरों में कितने मरीजों का परीक्षण किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) पिथौरा में दिनांक 17-01-2011, बागबाहरा में दिनांक 28-01-2011, महासमुन्द में दिनांक 31-01-2011, सरायपाली में दिनांक 02-02-2011, बसना में दिनांक 04-02-2011. (ख) पिथौरा-2114, बागबाहरा-1026, महासमुन्द-1885, सरायपाली-2118, बसना-1531.

राजनांदगांव जिला अंतर्गत पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति

27. (क्र. 2425) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत कौन-कौन से पटवारी हल्कों में पटवारियों के पद कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : राजनांदगांव जिला अंतर्गत रिक्त पटवारी हल्कों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. उक्त रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

महानदी की बाढ़ के कटाव के कारण व्यवस्थापन हेतु प्रदत्त आवेदन पर कार्यवाही

28. (क्र. 2427) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड पलारी अन्तर्गत महानदी की बाढ़ के कटाव के कारण ग्राम-मोहान के निवासियों द्वारा धाराशिव की बंजर भूमि में व्यवस्थापन (बसाहट) हेतु आवेदन दिया गया था ? यदि हां, तो कब-कब ? (ख) क्या, आवेदन अनुसार बसाहट हेतु जांच एवं सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? जांच प्रतिवेदन पर क्या निष्कर्ष आया एवं क्या कार्यवाही की गई ? (ग) ग्राम-मोहान में कितने परिवारों की भूमि महानदी के कटाव से प्रभावित हो रही है ? क्या, पूर्व में ग्राम-मोहान को ग्राम-कैलाशगढ़ की भूमि में बसाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) विकासखण्ड पलारी अन्तर्गत महानदी की बाढ़ के कटाव के कारण ग्राम मोहान के निवासियों द्वारा धाराशिव की बंजर भूमि में व्यवस्थापन (बसाहट) हेतु आवेदन पत्र क्रमशः दिनांक 18-5-1989, दिनांक 27-10-1990 एवं दिनांक 17-12-1997, कलेक्टर रायपुर को प्राप्त हुआ है. (ख) आवेदन अनुसार बसाहट हेतु जांच एवं सर्वे कराया गया है. दिनांक 16-4-1991 एवं दिनांक 15-5-2009 को जांच के अनुसार ग्राम धाराशिव वन ग्राम है. ग्राम मोहान के निवासियों को वनग्राम धाराशिव के वन आरक्षित क्षेत्र में बसाहट के लिये लगभग 7000 वृक्षों को काटना होगा जो संभव नहीं है. दोनों सर्वे का निष्कर्ष समान है. (ग) ग्राम मोहान में 10 परिवारों के 49 कृषकों की भूमि महानदी के कटाव से प्रभावित होती है. पूर्व में ग्राम मोहान को कैलाशगढ़ की भूमि में बसाने की कार्यवाही की गई थी जिसमें ग्राम कैलाशगढ़ के निवासियों द्वारा ग्राम मोहान के निवासियों को बसाने हेतु सहमत नहीं हैं. अतः उन्हें ग्राम कैलाशगढ़ में नहीं बसाया जा सका.

डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर में विभिन्न जांच मशीनों की स्थिति

29. (क्र. 2436) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर में कौन-कौन सी मशीन कितने दिनों से खराब है ? (ख) डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर के डायलिसिस यंत्र कितने हैं ? इन मशीनों को कब-कब खरीदा गया ? 1 फरवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 की स्थिति में कब-कब, कितनी मशीनें बंद रही ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2010-11 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में जांच की

मशीनें जो खराब अवस्था में हैं, की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	मशीन का नाम	कितने दिनों से खराब है
1.	कार्डियोटोकोग्राफी - 2	एक वर्ष (रिपेयर योग्य नहीं है)
2.	हिस्ट्रोस्कोप मशीन - 1	एक वर्ष
3.	ई.सी.जी. मशीन - 1	08-10-2008 से (रिपेयर योग्य नहीं है)
4.	वीडियो गैस्ट्रोस्कोप - 1	30-11-2010 से (रिपेयर हेतु भेजा गया है)

(ख) 04 नग डायलिसिस मशीन उपलब्ध हैं। एक मशीन अविभाजित मध्यप्रदेश में दिनांक 01-02-1991 को क्रय की गयी थी। 02 मशीन दिनांक 01-02-2008 को क्रय की गयी। 01 मशीन दिनांक 19-06-2010 को क्रय की गयी थी। 01 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक चारों मशीनें बंद रही।

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत “रेडी टू इट” भोजन प्रदान हेतु आमंत्रित निविदा

30. (क्र. 2437) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में “रेडी टू इट” भोजन प्रदाय करने का ठेका किन-किन व्यक्तियों और एजेंसियों को, किस-किस दर से दिया गया है ? (ख) क्या निविदा बुलाई गई थी ? यदि हां तो, किस-किस तारीख को ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-इट फूड प्रदाय करने का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को 27.30 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर सौंपा गया है। महिला स्व सहायता समूहों की सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निविदा नहीं बुलाई गई थी।

धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पूरक पोषण आहार की आपूर्ति

31. (क्र. 2441) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं और उनमें कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के केन्द्रों में पूरक पोषण आहार, रेडी टू इट योजना के तहत किन-किन इकाईयों द्वारा प्रदाय किया जा रहा है ? (ग) कंडिका “ख” के तहत कितनी मात्रा में रेडी टू इट क्रियान्वयन इकाई द्वारा पूरक पोषण आहार वर्ष 2010-11 में प्रदाय किया गया ? लागत सहित बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 276 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 31 जनवरी 2011 की स्थिति में इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 26378 बच्चे, 2671 गर्भवती महिलाएं एवं 3244 धात्री माताएं दर्ज हैं। (ख) धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रेडी टू इट फूड निर्माण से संबंधित इकाईयों का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रेडी टू इट फूड इकाईयों द्वारा 607071.369 किलोग्राम पूरक पोषण आहार (रेडी टू इट फूड) वर्ष 2010-11 में प्रदाय किया गया है, जिसकी लागत 1,65,73,048/- रु. है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 454) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	जिला	2009-10			2010-11 (माह जनवरी 11 तक)		
		परीक्षण (3)	पॉजीटिव (4)	मृत्यु (5)	परीक्षण (6)	पॉजीटिव (7)	मृत्यु (8)
(1)	(2)						
1.	जगदलपुर	253526	21620	02	208074	13613	00
2.	कांकेर	222554	10969	01	222264	9324	00
3.	दंतेवाड़ा	115587	27653	00	133096	28982	07
4.	बीजापुर	86444	8389	00	13733	1797	02
5.	नारायणपुर	26991	1856	00	25772	3105	00
योग		705102	70487	03	602939	56821	09

2011

प्रपत्र “ब”

क्रमांक (1)	मद (2)	राशि (व्यय) (3)
1.	वेतन भत्ते	47715177
2.	यात्रा भत्ता	715869
3.	कार्यालय व्यय	2252498
4.	सामग्री आपूर्ति	1562547
5.	मजदूरी	2451973
6.	पी. ओ. एल.	313254
7.	आकस्मिक व्यय	170169
8.	प्रचार प्रसार	276850
9.	अन्य व्यय	99892
10.	प्रशिक्षण	83670
11.	मोबिलिटी सपोर्ट	47745

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 1757) के भाग (ख) की जानकारी]

छ. ग. - रा. संहिता 1959 की धारा 170 (ख) के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रा. प्रतापपुर में लंबित प्रकरणों की सूची -

क्र. (1)	रा. प्र. क्र./वर्ष (2)	दर्ज दिनांक (3)	पक्षकारों का नाम (4)	ग्राम (5)
1.	1 अ-23/05-06	1-10-05	श्री धुप्पल आ. अनुपसाय गोड़ प्रति मो. सराफत आ. सफायत मुसलमान.	सेमराकला
2.	9 अ-23/05-06	1-6-06	श्री समरथ आ. अलीसाय गोंड प्रति जय बहादुर आ. अवध बिहारी क्षत्रीय.	सेनगरा
3.	13 अ-23/05-06	8-6-06	श्री पुसउ आ. राम लाल कंवर प्रति मो. रसीद खान आ. हफीज खान मुसलमान.	मायापुर-2
4.	14 अ-23/05-06	8-6-06	श्री कृष्णा आ. राम सेवक पण्डो प्रति मनोहर आ. देची सिंह गोड़.	श्यामनगर
5.	16 अ-23/05-06	8-6-06	श्री सुधन आ. चरकू गोंड प्रति नन्द किशोर आ. मुन्द्रिका कुन्बी.	चांचीडाड़
6.	18 अ-23/05-06	8-6-06	श्री मोहरसाय आ. अमरसाय गोंड प्रति श्रीमती बसंती पति रामजी यादव.	नवाधककी
7.	5 अ-23/07-08	24-1-08	श्री रन साय आ. धनसाय गोंड प्रति विरेन्द्र कुमार आ. जवाहिर साव.	चांचीडाड़
8.	9 अ-23/07-08	1-9-08	श्री समरथ आ. अली गोंड प्रति मुकेश आ. साधुशरण कायस्त.	शंकरपुर
9.	1 अ-23/10-11	14-10-10	श्रीमती हलकनिया आ. रामचन्द्र गोंड प्रति कोलाकेशन आ. ताराचन्द्र अग्रवाल.	प्रतापपुर
10.	3 अ-23/10-11	19-10-10	श्री बालचंद्र आ. लालमन अगरिया प्रति शंभु आ. मोतीसाव बगैर.	रेवटी
11.	4 अ-23/10-11	19-10-10	श्री शिवकुंवर बेवा जानकी खेवार प्रति श्री भुनेश्वर आ. प्रेम अहिर.	गोरगी
12.	5 अ-23/10-11	28-10-10	श्री गेदा आ. गुलाल गोंड प्रति संघमित्रा पुत्री राजेन्द्र कुमार.	खड़गवांकला

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	6 अ-23/10-11	28-10-10	श्री लुदु आ. सकलु गोंड प्रति शंभु आ. बिरझु जायसवाल.	धरमपुर
14.	8 अ-23/10-11	28-10-10	श्री फुलबसिया पुत्री पलटु गोंड प्रति छन्नेलाल आ. रामबिलास जायसवाल.	अमनदोन
15.	7 अ-23/10-11	28-10-10	श्रीमती सुखमेन पुत्री जगत उरांव प्रति रामनारायण आ. फागु लोहार.	प्रतापपुर
16.	9 अ-23/10-11	18-11-10	श्री देवसाय आ. कोची गोंड प्रति ललित आ. चन्नूराम कुम्हार.	खडगवांकला
17.	10 अ-23/10-11	18-11-10	श्रीमती वृहस्पतिया पति देवनारायण गोंड प्रति सुरेश आ. चन्नूराम कुम्हार.	खडगवांकला
18.	1 अ-23/09-10	8-10-09	श्री दशमेत प्रति सीताराम कंवर	करसी
19.	2 अ-23/10-11	19-10-10	श्री शंकर कंवर प्रति मुकेश अग्रवाल	मायापुर
20.	11 अ-23/10-11	23-11-10	श्री लक्ष्मनिया गोंड प्रति सखिचन्द जायसवाल.	लोलकी

क्र. 18, 19, 20 प्रकरण निराकृत हो गये हैं. जनवरी, फरवरी 2011 को निराकरण हुआ है अनुविभागीय अधिकारी रा. वाड्फनगर में लंबित प्रकरणों की सूची-

1.	ट-23/07-08	27-11-08	श्री नधीरा गोंड प्रति सुभाषचन्द्र पटेल पिता मुरारीलाल पं. रमेशचन्द्र पटेल पिता मुरारी लाल पं. लखनचन्द्र पटेल पिता मुरारी लाल पं. जाति कुन्बी.	सुरसा
2.	4 अ-23/06-07	27-6-2007	श्री शहमीर एवं अन्य प्रति फुलमन वेबा हुलास जाति गोंड, निवासी वाड्फनगर, जवाहिर पिता रामफल जाति गोंड निवासी ककनेशा, शिवबली पिता देवबली जाति गोंड निवासी रजखेता, जय सिंह पिता सुख जाति गोंड.	ककनेशा वाड्फनगर रजखेता

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 2281) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिला	क्रियाशील स्मार्ट कार्ड की संख्या	शेष बी. पी. एल. परिवार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राजनांदगांव	79263	46712
2.	दुर्ग	155495	126165
3.	बिलासपुर	139658	98670
4.	सरगुजा	153249	79552
5.	रायपुर	193281	183362
6.	बस्तर	44331	97415
7.	नारायणपुर	3398	11501
8.	कांकेर	25516	34225
9.	धमतरी	36835	20678
10.	बीजापुर	-	27634
11.	दंतेवाड़ा	9631	47665
12.	महासमुंद	76362	42303
13.	कबीरधाम	43552	40088
14.	रायगढ़	113048	85080
15.	कोरबा	69511	45149
16.	जशपुर	52552	17408
17.	कोरिया	28720	21837
18.	जांजगीर-चांपा	68482	60548
योग		1292884	1085992

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 2439) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	अधिकारी /कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)	क्या प्रकरण दर्ज है (4)	प्रकरण कब से दर्ज है (5)	प्रकरण कहां दर्ज है (6)
1.	श्री पी. आर. नाईक	अपर पंजीयक	आर्थिक अनियमितता	2003	छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग.
2.	श्री डी. एस. ठाकुर	संयुक्त पंजीयक	आर्थिक अनियमितता	2006	विभागीय जांच आयुक्त
3.	श्री एस. के. एस. सिसोदिया	उप पंजीयक	आर्थिक अनियमितता	2004	विभागीय जांच आयुक्त
4.	श्री निर्मल तिर्की	उप पंजीयक	आर्थिक अनियमितता	2009	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर.
5.	श्री उमेश तिवारी	सहायक पंजीयक	आर्थिक अनियमितता	2010	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर.
6.	श्री राजकुमार नायडू	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	आर्थिक अनियमितता	2003, 2006	थाना टिकरापारा रायपुर में अपराध प्रकरण क्र. 195/03 दि. 07-06-2003 तथा थाना सरस्वती नगर रायपुर में अपराध प्रकरण क्र. 176/05 दि. 15-09-2005.
7.	श्री संजय नामपल्लीवार	सहकारी निरीक्षक	रिश्वतखोरी	2007	एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में अपराध प्रकरण क्र. 04/2007 धारा 07, 13(1) डी,13(2) पी. सी. एक्ट 1988 के तहत.
8.	श्री सी. के. दास	सहकारी निरीक्षक	गबन	2002	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बिलाईगढ़ जिला रायपुर.
9.	श्री पी. के. जैन	सहकारी निरीक्षक	रिश्वतखोरी	2006	विशेष एवं सत्र न्यायालय दुर्ग

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	अधिकारी /कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)	निलंबन की तिथि (4)	निलंबन से बहाल होने की तिथि (5)
1.	श्री पी. आर. नाईक	अपर पंजीयक	19-12-2003	26-04-2004
2.	श्री डी. एस. ठाकुर	संयुक्त पंजीयक	26-10-2006	14-11-2007
3.	श्री एस. के. एस. सिसोदिया	उप पंजीयक	25-03-2004	26-07-2004
4.	श्री निर्मल तिकी	उप पंजीयक	-	-
5.	श्री उमेश तिवारी	सहायक पंजीयक	-	-
6.	श्री राजकुमार नायडू	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	04-04-2001, 21-07-2005	14-06-2001, 17-10-2008
7.	श्री संजय नामपल्लीवार	सहकारी निरीक्षक	11-05-2007, 02-02-2010	19-02-2009, 31-10-2010
8.	श्री सी. के. दास	सहकारी निरीक्षक	28-09-2002	25-02-2011
9.	श्री पी. के. जैन	सहकारी निरीक्षक	01-01-2010	-

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 2341) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक (1)	जिला का नाम (2)	पंजीकृत ग्रामीण चिकित्सा सहायक (3)	नियुक्त ग्रामीण चिकित्सा सहायक (4)
1.	धमतरी	45	26
2.	बस्तर	63	49
3.	कबीरधाम	60	38
4.	कांकेर	46	41
5.	कोरिया	48	29
6.	कोरबा	119	19
7.	महासमुंद	45	31
8.	बिलासपुर	171	86
9.	रायपुर	180	84
10.	रायगढ़	79	41
11.	राजनांदगांव	71	42
12.	सरगुजा	70	103
13.	दंतेवाड़ा	07	43
14.	दुर्ग	142	87
15.	जांजगीर	145	53
16.	जशपुर	33	28
17.	नारायणपुर	04	05
18.	बीजापुर	07	25
योग		1335	830

परिशिष्ट “छः”
[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1449) के भाग (क) की जानकारी]

स. क्र. (1)	उम्मीदवार का नाम (2)	विषय (3)	पदस्थापना (4)
1.	डॉ. नवीन कुमार दुल्हानी	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
2.	डॉ. राजीव लोचन खरे	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
3.	डॉ. योगेन्द्र मल्होत्रा	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
4.	डॉ. राम नारायण नेमा	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
5.	डॉ. नवीन कुमार तिरकी	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
6.	डॉ. रामगोपाल घृतलहरे	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
7.	डॉ. सुरेश चन्द्रवंशी	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
8.	डॉ. जॉन मसीह	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
9.	डॉ. अर्चना टोपपो	मेडिसीन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
10.	डॉ. अनुरूप कुमार साहू	पीडियाट्रिक/ नियोनेटोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
11.	डॉ. बट्टी नारायण राव सोमावार.	पीडियाट्रिक/ नियोनेटोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
12.	डॉ. भगत राम बघेल	पीडियाट्रिक/ नियोनेटोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
13.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार कुरें	पीडियाट्रिक/ नियोनेटोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
14.	डॉ. रेखा रतनानी	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
15.	डॉ. नम्रता कश्यप सिरमौर	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
16.	डॉ. चन्द्रशेखर श्रीवास्तव	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
17.	डॉ. रूचि किशोर	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
18.	डॉ. अविनाशी कुजूर	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
19.	डॉ. भावना गार्डिया	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
20.	डॉ. अतिन कुमार कुन्डू	आर्थोपेडिक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
21.	डॉ. अरूणेश सिंह	आर्थोपेडिक	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर
22.	डॉ. राजेन्द्र कुमार अहिरे	आर्थोपेडिक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
23.	डॉ. सुनील कुमार रामनानी	ई. एन. टी.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
24.	डॉ. वर्षा मुंगुटवार	ई. एन. टी.	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर
25.	डॉ. बुधराम सिंह	ई. एन. टी.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
26.	डॉ. छाया शोरी	नेत्ररोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
27.	डॉ. विजया साहू	नेत्ररोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

2011

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	डॉ. राकेश कुमार शोरी	नेत्ररोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
29.	डॉ. ओमप्रकाश सुन्दरनी	निश्चेतना	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
30.	डॉ. रश्मि ठाकुर	निश्चेतना	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
31.	डॉ. दीपक सिंह	निश्चेतना	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
32.	डॉ. रश्मि नाईक	निश्चेतना	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
33.	डॉ. दुर्गा शंकर पटेल	निश्चेतना	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
34.	डॉ. प्राची अवस्थी	रेडियोलॉजी/ रेडियोडायग्नोसिस	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
35.	डॉ. आनंद जायसवाल	रेडियोलॉजी/ रेडियोडायग्नोसिस	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
36.	डॉ. मुनव्वर अहमद	रेडियोलॉजी/ रेडियोडायग्नोसिस	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
37.	डॉ. राजेश कुमार सिंह	रेडियोलॉजी/ रेडियोडायग्नोसिस	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
38.	डॉ. मंजुला केरकेट्टा	रेडियोथेरेपी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
39.	डॉ. प्रदीप कुमार चन्द्राकर	रेडियोथेरेपी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
40.	डॉ. सुरेश कुमार ठाकुर	रेडियोथेरेपी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
41.	डॉ. संदीप चन्द्राकर	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
42.	डॉ. आशुतोष कृष्ण गुप्ता	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
43.	डॉ. संतोष कुमार सोनकर	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
44.	डॉ. वृजेश सिंह	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
45.	डॉ. अनिल कुमार हरिप्रिय	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
46.	डॉ. मयंक देवांगन	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
47.	डॉ. राम कुमार सिद्धार्थ	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
48.	डॉ. कमेश कुमार ध्रुव	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
49.	डॉ. सुनीता मेश्राम	सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
50.	डॉ. जंदेल सिंह ठाकुर	डेन्टल	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
51.	डॉ. गणेश राम कुमेटी	डेन्टल	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
52.	डॉ. मृत्युञ्जय कुमार सिंह	चर्मरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
53.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	चर्मरोग	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
54.	डॉ. चन्द्र मोहन सिंह	न्यूरोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
55.	डॉ. पुनीत गुप्ता	नेफोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
56.	डॉ. रविन्द्र कुमार पण्डा	टी. बी. एण्ड चेस्ट	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
57.	डॉ. लोकेश कुमार सिंह	साइकेट्रिक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
58.	डॉ. सुसान्त कुमार पाढ़ी	साइकेट्रिक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
59.	डॉ. राजीव कुमार	न्यूरो सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
60.	डॉ. दक्षेश आर. शाह	प्लास्टिक बर्न सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
61.	डॉ. मोहम्मद अमी मेमन	पिडियाट्रिक सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
62.	डॉ. विक्रम बली राठौर	चिकित्सा भौतिक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 975) की जानकारी]

आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत भुगतान की गई राशि की विकासखण्डवार एवं माहवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	माह का नाम	पूरक पोषण आहार प्राप्त करने वाले बच्चों की कुल संख्या	पूरक पोषण आहार में भुगतान की गई कुल राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भरतपुर	अप्रैल 2010	11166	593496
2.	बैकुण्ठपुर	अप्रैल 2010	14826	1001808
3.	मनेन्द्रगढ़	अप्रैल 2010	13114	939967
4.	सोनहत	अप्रैल 2010	5751	489693
5.	खड़गवां	अप्रैल 2010	11486	1109287
1.	भरतपुर	मई 2010	11123	682980
2.	बैकुण्ठपुर	मई 2010	14075	952801
3.	मनेन्द्रगढ़	मई 2010	12901	1241998
4.	सोनहत	मई 2010	5606	479930
5.	खड़गवां	मई 2010	11763	1104721
1.	भरतपुर	जून 2010	11295	748183
2.	बैकुण्ठपुर	जून 2010	13422	969799
3.	मनेन्द्रगढ़	जून 2010	12423	933577
4.	सोनहत	जून 2010	5656	481636
5.	खड़गवां	जून 2010	11842	1046133
1.	भरतपुर	जुलाई 2010	10023	700314
2.	बैकुण्ठपुर	जुलाई 2010	14088	1001167
3.	मनेन्द्रगढ़	जुलाई 2010	12061	919242
4.	सोनहत	जुलाई 2010	5040	467278
5.	खड़गवां	जुलाई 2010	11400	964673
1.	भरतपुर	अगस्त 2010	9877	846386
2.	बैकुण्ठपुर	अगस्त 2010	13560	1009127
3.	मनेन्द्रगढ़	अगस्त 2010	11840	958534
4.	सोनहत	अगस्त 2010	4556	400128
5.	खड़गवां	अगस्त 2010	12005	1204076
1.	भरतपुर	सितम्बर 2010	9799	719665
2.	बैकुण्ठपुर	सितम्बर 2010	13806	1092582
3.	मनेन्द्रगढ़	सितम्बर 2010	11819	1078383
4.	सोनहत	सितम्बर 2010	4328	385133
5.	खड़गवां	सितम्बर 2010	11221	1069474

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भरतपुर	अक्टूबर 2010	10320	583224
2.	बैकुण्ठपुर	अक्टूबर 2010	13966	1065810
3.	मनेन्द्रगढ़	अक्टूबर 2010	11877	968482
4.	सोनहत	अक्टूबर 2010	4841	391527
5.	खड़गवां	अक्टूबर 2010	11573	1126169
1.	भरतपुर	नवम्बर 2010	9975	676861
2.	बैकुण्ठपुर	नवम्बर 2010	13110	1187421
3.	मनेन्द्रगढ़	नवम्बर 2010	11833	1139995
4.	सोनहत	नवम्बर 2010	4863	469414
5.	खड़गवां	नवम्बर 2010	11359	1359932
1.	भरतपुर	दिसम्बर 2010	10151	640016
2.	बैकुण्ठपुर	दिसम्बर 2010	14239	1048666
3.	मनेन्द्रगढ़	दिसम्बर 2010	11833	2211823
4.	सोनहत	दिसम्बर 2010	4937	401078
5.	खड़गवां	दिसम्बर 2010	11438	962667
1.	भरतपुर	जनवरी 2011	10423	996440
2.	बैकुण्ठपुर	जनवरी 2011	14204	1139288
3.	मनेन्द्रगढ़	जनवरी 2011	11523	994483
4.	सोनहत	जनवरी 2011	5191	404905
5.	खड़गवां	जनवरी 2011	11629	1234438

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2399) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जेल से फरार कैदी तथा उनके पुनः गिरफ्तारी के संबंध में

वर्ष 2009-10 — निरंक

वर्ष 2010-11 (01 मार्च 2011 तक की स्थिति में)

क्र.	जेल का नाम	फरारी दिनांक	फरार कैदी का नाम		दिनांक 01 मार्च 2011 तक की स्थिति में कैदी को वापस जेल में लाने का दिनांक
			विचाराधीन कैदी	दंडित कैदी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	01-08-2010	—	(1) भोट उर्फ वशिष्ठ आ. रामदास गोंड़	फरार बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 03-01-2011 को जेल दाखिल किया गया.
				(2) छोटु उर्फ राजू आ. मोहरसाय	फरार बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 08-08-2010 को जेल दाखिल किया गया.

प्रपत्र "ब"

फरारी के लिए दोषी जेल के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में

क्र.	जेल का नाम	फरारी दिनांक	फरार कैदी का नाम		फरारी के लिये दोषी जेल के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी
			विचाराधीन कैदी	दंडित कैदी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	01-08-2010	—	(1) भोट उर्फ वशिष्ठ आ. रामदास गोंड (2) छोटु उर्फ राजू आ. मोहरसाय	श्री एस. सी. भार्गव, सहायक जेल अधीक्षक (अष्टकोण अधिकारी), श्री विजय बहादुर मुख्य प्रहरी, श्री मनराखन लाल भार्गव प्रहरी, श्री अरविंद सिंह प्रहरी एवं श्री दीपक कुमार टोप्पो प्रहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. विभागीय जांच की कार्यवाही जारी है.

प्रपत्र “स”

अवैध प्रतिबंधित सामग्री जब्त होने पर दोषी जेल के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में

वर्ष 2009-10

क्र.	जेल का नाम	दोषी जेल के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी
(1)	(2)	(3)

1. केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर/रायपुर/बिलासपुर/दुर्गा/जगदलपुर.

जिला स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर में अवैध प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर छत्तीसगढ़ शासन गृह (जेल) विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-2-16/तीन जेल/2009 दिनांक 04-04-2009 के द्वारा श्री राजेन्द्र गायकवाड़, जेल अधीक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थापित की गई.

जिला स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा केन्द्रीय जेल, रायपुर में अवैध प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर तत्कालीन जेलर, उप जेलर, सहायक जेलर तथा दो प्रहरियों को निलंबित कर विभागीय जांच की गई. विभागीय जांच में श्री आर. के. सिंह केशर, तत्कालीन जेलर की एक वेतनवृद्धि रोकी गई, श्री आर. एस. ध्रुव, तत्कालीन सहायक जेलर की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई, श्री सी. एल. कोल, तत्कालीन उप जेलर के विरुद्ध विभागीय जांच की गई. उनके सेवा निवृत्त होने पर विभागीय जांच निराकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि में देय भत्ते को ही पर्याप्त माना गया. श्री कामदेव बंजारे, प्रहरी को परिनिन्दा की सजा एवं श्री सुरेश जगताप प्रहरी का प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया.

अन्य अवैध प्रतिबंधित सामग्रियों के जब्ती प्रकरणों में किसी अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है.

वर्ष 2010-11 (28 फरवरी 2011 तक)

1. केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर/रायपुर/बिलासपुर/दुर्गा/उप जेल, मनेन्द्रगढ़.

उप जेल, मनेन्द्रगढ़ में श्री होतमसिंह, प्रहरी द्वारा श्री प्रभात कुमार मरावी, प्रहरी से अवैध प्रतिबंधित सामग्री जब्त किये जाने पर श्री प्रभात कुमार मरावी, प्रहरी को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थापित की गई.

अन्य अवैध प्रतिबंधित सामग्रियों के जब्ती प्रकरणों में किसी अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है.

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2248) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2009-10

क्र.	माह का नाम	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया	जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में लाभ मिले महिलाओं की संख्या	लाभान्वित महिलाओं को दिये गये सहायता राशि
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	अप्रैल-2009	6	26	29100=00
2.	मई-2009	1	31	47650=00
3.	जून-2009	9	63	71200=00
4.	जुलाई-2009	9	47	45600=00
5.	अगस्त-2009	13	107	128350=00
6.	सितम्बर-2009	18	121	141050=00
7.	अक्टूबर-2009	14	86	67250=00
8.	नवम्बर-2009	24	196	127900=00
9.	दिसम्बर-2009	20	127	130600=00
10.	जनवरी-2010	14	80	103450=00
11.	फरवरी-2010	14	117	109200=00
12.	मार्च-2010	30	250	212350=00
		कुल	1251	1213700=00

वर्ष 2010-11

1.	अप्रैल-2010	33	206	145600=00
2.	मई-2010	21	60	104100=00
3.	जून-2010	17	115	159950=00
4.	जुलाई-2010	19	127	166800=00
5.	अगस्त-2010	15	111	160550=00
6.	सितम्बर-2010	20	105	146800=00
7.	अक्टूबर-2010	15	88	128250=00
8.	नवम्बर-2010	16	127	188050=00
9.	दिसम्बर-2010	14	95	135300=00
10.	जनवरी-2011	18	129	177700=00
11.	दिनांक 20-02-2011	10	63	81600=00
		कुल	1226	1594700=00

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1807) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	विकासखण्ड का नाम	गांव का नाम जहां दुकान संचालित है	वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार गांव की जनसंख्या	लायसेंसी का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पलारी	1. देशी मदिरा दुकान, पलारी	6261	श्री अनिल कुमार पिता बंशीलाल पता-म.नं. 177, गली नं.-02, बालौद जिला-दुर्ग (छ. ग.)
		2. देशी मदिरा दुकान, पलारी	6261	श्री अनिल कुमार पिता बंशीलाल पता-म.नं. 177, गली नं.-02, बालौद जिला-दुर्ग (छ. ग.)
		3. देशी मदिरा दुकान, रोहासी	3614	श्री अनिल कुमार पिता बंशीलाल पता-म.नं. 177, गली नं.-02, बालौद जिला-दुर्ग (छ. ग.)
		4. देशी मदिरा दुकान, सण्डी	395	श्री सचिन सोनी पिता भरतलाल सोनी पता-तिलकवार्ड बालौद, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
		5. देशी मदिरा दुकान, गिधपुरी	1462	श्री प्रफुल्ल सिंह पिता खिरौद सिंह पता-कोलीअढ़ा वासुदेवपुर महंगा कटक (उड़ीसा)
2.	कसडोल	1. विदेशी मदिरा दुकान, कसडोल	11405	श्री गुड्डू यादव पिता नामवर यादव पता-मोलनापुर महुअरकला, थाना बलुआ, तहसील-सकलडीह जिला-चंदौली (उ. प्र.)
		2. देशी मदिरा दुकान, असनींद	2149	श्री गुड्डू यादव पिता नामवर यादव पता-मोलनापुर महुअरकला, थाना बलुआ, तहसील-सकलडीह जिला-चंदौली (उ. प्र.)
		3. देशी मदिरा दुकान, छरछेद	1362	श्री गुड्डू यादव पिता नामवर यादव पता-मोलनापुर महुअरकला, थाना बलुआ, तहसील-सकलडीह जिला-चंदौली (उ. प्र.)
		4. विदेशी मदिरा दुकान, गिधौरी	1482	श्री मोती लाल ठाकुर पिता अमीराम ठाकुर, पता-डुमरपाली थाना पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. देशी मदिरा दुकान, गिधौरी	1482	श्री मोती लाल ठाकुर पिता अमीराम ठाकुर, पता-डुमरपाली थाना पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
		6. देशी मदिरा दुकान, बलौदा	3658	श्री मोती लाल ठाकुर पिता अमीराम ठाकुर, पता-डुमरपाली थाना पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
		7. विदेशी मदिरा दुकान, बया	1168	श्री युगल चौहान पिता मोती चौहान पता-ग्राम चपले, पो. गोसाईडीह नवीनगर, तहसील/जिला औरंगाबाद (बिहार)
		8. देशी मदिरा दुकान, बया	1168	श्री युगल चौहान पिता मोती चौहान पता-ग्राम चपले, पो. गोसाईडीह नवीनगर, तहसील/जिला औरंगाबाद (बिहार)
		9. देशी मदिरा दुकान, बरपानी	905	श्री युगल चौहान पिता मोती चौहान पता-ग्राम चपले, पो. गोसाईडीह नवीनगर, तहसील/जिला औरंगाबाद (बिहार)
		10. विदेशी मदिरा दुकान, कटगी	3796	श्री अश्विनी दास पिता यदुनाथ दास पता-बरअटा अरखपुर महांगा कटक (उड़ीसा)
		11. देशी मदिरा दुकान, कटगी	3796	श्री अश्विनी दास पिता यदुनाथ दास पता-बरअटा अरखपुर महांगा कटक (उड़ीसा)
		12. देशी मदिरा दुकान, खैरा	700	श्री अश्विनी दास पिता यदुनाथ दास पता-बरअटा अरखपुर महांगा कटक (उड़ीसा)
		13. देशी मदिरा दुकान, टुण्ड्रा	6761	श्री सेऊक साहू पिता हरीराम साहू पता-बरबसपुर जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
		14. देशी मदिरा दुकान, डेराडीह	642	श्री सेऊक साहू पिता हरीराम साहू पता-बरबसपुर जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
		15. देशी मदिरा दुकान, राजादेवरी	796	श्री रविन्द्र यादव पिता सारनाथ यादव पता-ग्राम/पोस्ट लौंदा, थाना अलीनगर, तहसील सकलदीप, जिला-चंदौली (उ. प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		16. देशी मदिरा दुकान, कसौंदी	768	श्री रविन्द्र यादव पिता सारनाथ यादव पता-ग्राम/पोस्ट लौंदा, थाना अलीनगर, तहसील सकलदीप, जिला-चंदौली (उ. प्र.)
		17. देशी मदिरा दुकान, थरगांव	1333	श्री रविन्द्र यादव पिता सारनाथ यादव पता-ग्राम/पोस्ट लौंदा, थाना अलीनगर, तहसील सकलदीप, जिला-चंदौली (उ. प्र.)
		18. देशी मदिरा दुकान, बारनवापारा	720	श्री फलीन्द्र कुमार सिंह पिता ब्रम्हदेव सिंह, पता-लोहाबिगहा, पो.-मल्हारा थाना कुटुम्बा तहसील-जिला औरंगाबाद (बिहार)
		19. देशी मदिरा दुकान, मुढीपार	408	श्री फलीन्द्र कुमार सिंह पिता ब्रम्हदेव सिंह, पता-लोहाबिगहा, पो.-मल्हारा थाना कुटुम्बा तहसील-जिला औरंगाबाद (बिहार)
		20. देशी मदिरा दुकान, बगार	362	श्री फलीन्द्र कुमार सिंह पिता ब्रम्हदेव सिंह, पता-लोहाबिगहा, पो.-मल्हारा थाना कुटुम्बा तहसील-जिला औरंगाबाद (बिहार)
		21. देशी मदिरा दुकान, बरेली	1346	श्रीमती निर्मला गुप्ता पति शिवपूजन गुप्ता पता-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3.	बलौदाबाजार विकासखण्ड के आर.आई. सर्किल के लवन अंतर्गत	1. देशी मदिरा दुकान, लवन	5422	श्री अनिल कुमार सिंह पिता शिवशंकर सिंह, पता-ग्राम कंचनपुर पो./था./तह.-छतरपुर, जिला-पलामु झारखण्ड.
		2. विदेशी मदिरा दुकान, लवन	5422	श्री अनिल कुमार सिंह पिता शिवशंकर सिंह, पता-ग्राम कंचनपुर पो./था./तह.-छतरपुर, जिला-पलामु झारखण्ड.
		3. देशी मदिरा दुकान, लाहौद	1836	श्री नवल किशोर साहू पिता रमाशंकर साहू, पता-ग्राम चौंदकोपा, पो.-निगनी थाना/तहसील सेन्हा, जिला-लोहरदगा झारखण्ड.
		4. देशी मदिरा दुकान, कोहरौद	1374	श्री नवल किशोर साहू पिता रमाशंकर साहू, पता-ग्राम चौंदकोपा, पो.-निगनी थाना/तहसील सेन्हा, जिला-लोहरदगा झारखण्ड.

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	वर्ष 2011-12 के लिये बंद की जाने वाली दुकान का नाम (3)
1.	पलारी	1. देशी मदिरा दुकान, गिधपुरी
2.	कसडोल	1. विदेशी मदिरा दुकान, गिधौरी 2. देशी मदिरा दुकान, गिधौरी 3. देशी मदिरा दुकान, बरपानी 4. देशी मदिरा दुकान, थरगांव 5. देशी मदिरा दुकान, डेराडीह 6. देशी मदिरा दुकान, बगार 7. देशी मदिरा दुकान, राजादेवरी 8. देशी मदिरा दुकान, मुढीपार 9. देशी मदिरा दुकान, छरछेद 10. देशी मदिरा दुकान, खैरा 11. देशी मदिरा दुकान, बरेली
3.	बलौदाबाजार विकासखण्ड के आर.आई. सर्किल के लवन अंतर्गत.	1. देशी मदिरा दुकान, कोहरौद 2. देशी मदिरा दुकान, लाहोद

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2422) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विकासखण्ड छुरिया वर्ष 2009-10

जिला-राजनांदगांव

क्र.	कार्य का नाम एवं ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि लाख रुपये में	स्वीकृति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मिट्टी सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 0.800 कि.मी. ग्राम-पाटेकोहरा.	पाटेकोहरा	2.65	4934/2-07-2009
2.	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य ग्राम-जनकपुर.	महाराजपुर	3.01	4909/2-07-2009
3.	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य ग्राम-उमरवाही.	उमरवाही	4.94	4909/2-07-2009

विकासखण्ड छुरिया वर्ष 2010-11

1.	पैठू तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य ग्राम-बैरागीभेड़ी.	बैरागीभेड़ी	4.04	4292/28-05-2010
2.	नया तालाब गहरीकरण कार्य ग्राम-दीवानटोला	बैरागीभेड़ी	2.57	4292/28-05-2010
3.	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य ग्राम-लालूटोला.	लालूटोला	3.12	4337/29-05-2010

प्रपत्र "ब"

जिला-राजनांदगांव

क्रमांक	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कार्य पर कुल व्यय	15-07-2009 एवं 30-06-2010 तक अर्जित मानव दिवस	पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
वर्ष 2009-10 में छुरिया विकासखण्ड अंतर्गत स्वीकृत राहत कार्य									
1.	मिट्टी सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 0.800 कि.मी.	पाटेकोहरा	पाटेकोहरा	265000.00	4934/2-07-2009	55063.00	734	अपूर्ण	वर्षा प्रारंभ हो जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका.
2.	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य	जनकपुर	महाराजपुर	301000.00	4909/2-07-2009	0.00	0	अप्रारंभ	तालाब में पानी होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका.
3.	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य	उमरवाही	उमरवाही	494000.00	4909/2-07-2009	426000.00	5680	पूर्ण	
वर्ष 2010-11 में छुरिया विकासखण्ड अंतर्गत स्वीकृत राहत कार्य									
1.	पैटू तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य	बैरागीभेड़ी	बैरागीभेड़ी	404000	4292/28-05-2010	399100.00	3381	पूर्ण	
2.	नया तालाब गहरीकरण कार्य	दीवानटोला	बैरागीभेड़ी	257000	4292/28-05-2010	253300.00	2533	पूर्ण	
3.	तालाब गहरीकरण एवं महिला घाट निर्माण कार्य	लालटोला	लालटोला	312000	4337/29-05-2010	262200.00	1918	पूर्ण	

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 417) के भाग (ख) की जानकारी]

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र से लाभान्वित कन्याओं का स्थल, तिथि, वर्ष एवं विकासखंडवार विवरण निम्नानुसार है

2008-09

क्र.	विवाह आयोजन का दिनांक	विकासखण्ड का नाम	विवाह आयोजन स्थल	सिहावा विधान सभा क्षेत्र से लाभान्वित कन्याओं की संख्या	सिहावा विधान सभा क्षेत्र की कन्याओं पर व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	08-05-2008	कुरुद	मां चण्डी मंदिर कुरुद	03	15000/-
2.	28-02-2009	नगरी	श्रृंगीऋषी उ.मा. विद्यालय नगरी विकासखण्ड नगरी जिला धमतरी	57	285000/-
योग				60	300000/-

वर्ष 2009-10

1.	24-03-2010	विकासखण्ड मगरलोड	शा.उ.मा. विद्यालय ग्राम सिंगपुर वि.खं. मगरलोड जिला धमतरी	10	50000/-
2.	27-03-2010	विकासखण्ड नगरी	ग्राम सेमरा नगरी विकासखण्ड नगरी, जिला धमतरी	50	250000/-
योग				60	300000/-

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1354) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्रमांक (1)	तहसील का नाम (2)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या (3)
1.	जगदलपुर	1488
2.	लोहण्डीगुड़ा	97
3.	बस्तर	999
4.	बास्तानार	66
5.	बकावण्ड	720
6.	तोकापाल	181
7.	कोण्डागांव	169
8.	फरसगांव	148
9.	बड़ेराजपुर	25
10.	केशकाल	33
11.	माकड़ी	91
12.	दरभा	187
योग		4204

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	प्रभावित परिवारों की संख्या	स्वीकृत एवं वितरित राशि	कुल स्वीकृत एवं वितरित राशि 3×4=5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर	3	200	600
		1	300	300
		4	400	1600
		211	500	105500
		13	600	7800
		25	700	17500
		53	800	42400
		3	900	2700
		177	1000	177000
		56	1200	67200
		1	1300	1300
		2	1400	2800
		220	1500	330000
		2	1700	3400
		23	1800	41400
		2	1900	3800
		789	2000	1578000
		2	2100	4200
		6	2200	13200
		1	2300	2300
		6	2400	14400
		638	2500	1595000
		5	2800	14000
		461	3000	1383000
		1	3050	3050
		1	3100	3100
		3	3200	9600
		37	3500	129500
		1	3600	3600
		1	3700	3700
		1	3800	3800
		1	3900	3900
		325	4000	1300000
		3	4200	12600
		1	4300	4300
		1	4400	4400
		33	4500	148500
		280	5000	1400000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	बस्तर	3	5500	16500
		91	6000	546000
		4	6500	26000
		66	7000	462000
		3	7500	22500
		590	8000	4720000
		5	8500	42500
		8	9000	72000
		39	10000	390000
		2	13000	26000
	कुल	4204		14762950

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2249) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अधूरे आंगनबाड़ी भवन की जानकारी

क्र.	अकलतरा विधान सभा क्षेत्र/ विकासखण्ड का नाम	आ.बा.केन्द्र का नाम जहां भवन अधूरा है	निर्माण स्थिति	कारण	निर्माण एजेंसी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अकलतरा	पचरी	नींव स्तर	स्थल परिवर्तन कर कार्य प्रारंभ है	आर.ई.एस.
2.	—,,—	गोंदाडीह (आरसमेटा)	अप्रारंभ	स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण	आर.ई.एस.
3.	—,,—	तरौद 01	नींव स्तर	बिजली तार हटने के बाद कार्य प्रारंभ है	आर.ई.एस.
4.	—,,—	अमोरा	छत स्तर	दूसरे सप्लायर से कोटेशन भेजा गया है	आर.ई.एस.
5.	—,,—	अर्जुनी	अप्रारंभ	सरपंच द्वारा कार्य में रुचि नहीं	ज.पं.
6.	—,,—	आरसमेटा	डीपीसी पूर्ण	वर्तमान में अनुबंध कराकर कार्य प्रारंभ है	ज.पं.
7.	—,,—	पौना	दीवाल स्तर	पूर्व सरपंच द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण. वर्तमान सरपंच द्वारा कार्य कराया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
8.	—,,—	चंगोरी	नींव स्तर	पुराने सरपंच द्वारा कार्य प्रारंभ न करने एवं पंचायत चुनाव के कारण वर्तमान कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
9.	—,,—	मुरलीडीह	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
10.	—,,—	परसदा (रेमन)	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
11.	—,,—	अमोरा 4	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
12.	—,,—	तरौद 03	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
13.	—,,—	पकरिया (झूलन)	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
14.	—,,—	नरियरा	छत स्तर	कार्य प्रगति पर है	ज.पं.
15.	—,,—	किरारी	नींव स्तर	पुराने सरपंच द्वारा कार्य प्रारंभ न करने एवं पंचायत चुनाव के कारण वर्तमान कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	बलौदा	कुरमा	छत स्तर	पुराने सरपंच द्वारा कार्य प्रारंभ न करने एवं पंचायत चुनाव के कारण वर्तमान कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
17.	—,,—	खिसोरा	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
18.	—,,—	पंतोरा	नींव स्तर	तदैव	ज.पं.
19.	—,,—	खमदाईपारा (अंगारखार)	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
20.	—,,—	मदनपुर (बेलटुकरी)	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
21.	—,,—	पुरेना (नवापारा ख.)	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
22.	—,,—	लिमभांठा (औराईखुर्द)	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
23.	—,,—	करमंदा	नींव स्तर	न्यायालयीन प्रक्रिया में होने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारंभ किया गया.	ज.पं.
24.	—,,—	खोहा	नींव स्तर	पुराने सरपंच द्वारा कार्य प्रारंभ न करने एवं पंचायत चुनाव के कारण वर्तमान कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
25.	—,,—	बगडबरी	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
26.	—,,—	पोंच	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
27.	—,,—	अंगारखार	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
28.	—,,—	छितापाली	छत स्तर	तदैव	ज.पं.
29.	—,,—	मधईपुर	नींव स्तर	स्थल विवाद होने के कारण वर्तमान में कार्य प्रगति पर है.	आर.ई.एस.
30.	—,,—	डोंगीपेंड़ी	छत स्तर	तदैव	आर.ई.एस.
31.	—,,—	परसाभाठा	अप्रारंभ	स्थल विवाद होने के कारण	आर.ई.एस.
32.	—,,—	हरदीविशाल	छत स्तर	स्थल विवाद होने के कारण वर्तमान में कार्य प्रगति पर है.	आर.ई.एस.
33.	—,,—	डोगरी	छत स्तर	तदैव	आर.ई.एस.
34.	—,,—	जावलपुर	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	बलौदा	सोनबरसा (बगडबरी)	दीवाल स्तर	स्थल विवाद होने के कारण वर्तमान में कार्य प्रगति पर है.	आर.ई.एस.
36.	—,,—	झपेली (जावलपुर)	दीवाल स्तर	तदैव	ज.पं.
37.	—,,—	खारी (करमा)	नींव स्तर	तदैव	ज.पं.
38.	—,,—	सुल्ताननार (नवापारा ब.)	छत स्तर	छत स्तर पर कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
39.	—,,—	रसौटा	अप्रारंभ	स्थल विवाद होने के कारण	ज.पं.
40.	—,,—	पनोरापारा (बुड़गहन)	अप्रारंभ	तदैव	ज.पं.
41.	—,,—	शनिचारीदमानी (ढोरला)	दीवाल स्तर	पुराने सरपंच द्वारा कार्य प्रारंभ न करने एवं पंचायत चुनाव के कारण वर्तमान कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
42.	—,,—	खोहा	नींव स्तर	तदैव	ज.पं.
43.	—,,—	नवापारा ब.	दीवाल स्तर	पुराने सरपंच द्वारा कार्य प्रारंभ न करने एवं पंचायत चुनाव के कारण वर्तमान कार्य प्रगति पर है.	ज.पं.
योग		28			
महायोग		43			

परिशिष्ट “पन्द्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2408) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

एम. पी. डब्ल्यू. दिनांक 01-03-2011 तक प्राप्त आवेदन की संख्या 182 है तथा 173 आवेदकों को पंजीकृत कर पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट से प्रेषित किया गया है. शेष आवेदन पत्रों का पंजीयन प्रक्रियाधीन है.

नेत्र सहायक दिनांक 01-03-2011 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 377 है तथा 349 आवेदकों को पंजीकृत कर पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट से प्रेषित किया गया है. शेष आवेदन पत्रों का पंजीयन प्रक्रियाधीन है.

विभिन्न विषयों टेक्नशियन एवं नेत्र सहायक सही पाये गये आवेदन पर पंजीयन कार्यवाही अवधि 45 दिवस है तथा एम. पी. डब्ल्यू. सही पाये गए आवेदन पर पंजीयन कार्यवाही अवधि 90 दिवस है.

प्रपत्र “ब”

टेक्निशियन पंजीयन हेतु मापदण्ड :—

केवल ऐसे आवेदक, आवेदन करने की पात्रता रखते हैं.

- (i) जिन्होंने संचालक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम छ.ग. राज्य (कार्यालय चिकित्सा शिक्षा संचालनालय रायपुर) द्वारा संचालित केन्द्रों से अथवा छ.ग. सह चिकित्सकीय परिषद् से अनुमति प्राप्त संस्थानों से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है एवं परीक्षा उत्तीर्ण की है.
- (ii) दिनांक 16-06-2009 को माननीय अध्यक्ष सह-चिकित्सकीय परिषद् एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई जिसके निर्णय निम्नानुसार :—
 - (1) छ.ग. राज्य गठन से 2004 तक टेक्निशियन पाठ्यक्रम (एक वर्ष अवधि का सर्टीफिकेट/दो वर्ष अवधि का डिप्लोमा/तीन वर्ष अवधि का डिग्री) प्रवेशित छात्र, जिन्होंने ऐसी संस्था जो कि
 - (अ) छ. ग. राज्य शासन से अनापत्ति (एन.ओ.सी.)/सशर्त अनुमति प्राप्त कर पैरामेडिकल टेक्निशियन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है.
 - (ब) शासन से मान्य परीक्षा संचालन करने वाली संस्था विश्वविद्यालय/बोर्ड/पैरामेडिकल मान्य संस्था/शासकीय स्वशासी संस्था/उपरोक्त (अ) अनुसार संस्था जिसे परीक्षा संचालन की भी अनुमति प्राप्त हो/अन्य शासन से परीक्षा संचालन हेतु मान्य संस्था) से उत्तीर्ण किया हो, पंजीयन हेतु मान्य होंगे.
 - (2) छ.ग. राज्य के बाहर की संस्था से प्रशिक्षित टेक्निशियन जिन्होंने संबंधित राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत हो तो, उक्त राज्य से पंजीयन का सत्यापन एवं अनापत्ति प्राप्त कर Reciprocal Registration किया जावेगा.

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “सोलह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क. 1105) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	समूह का नाम	ग्राम	बाल विकास परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अराधना स्व सहायता समूह	गोधनपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
2.	देवश्री स्वयं सहायता समूह	नवागढ़	अम्बिकापुर (ग्रा.)
3.	भातिमाता स्वयं सहायता समूह	भगवानपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
4.	इंदिरा स्वयं सहायता समूह	लखनपुर	लखनपुर
5.	पूर्णिमा स्वयं सहायता समूह	जमगला	लखनपुर
6.	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	उदयपुर	उदयपुर
7.	सरगम स्वयं सहायता समूह	सानीबर्वा सुखरी	उदयपुर
8.	संध्या स्वयं सहायता समूह	डोई उदयपुर	उदयपुर
9.	चंदा स्वयं सहायता समूह	फूलचूही उदयपुर	उदयपुर
10.	चंदा स्वयं सहायता समूह	खरसूरा बड़खापारा	उदयपुर
11.	महे वरी स्वयं सहायता समूह	कोटमी	उदयपुर
12.	सरजू स्वयं सहायता समूह	डोई उदयपुर	उदयपुर
13.	कृति स्वयं सहायता समूह	सेमीघोघरा लक्ष्मणगढ़	उदयपुर
14.	रेनू स्वयं सहायता समूह	लक्ष्मणगढ़	उदयपुर
15.	मिलन स्वयं सहायता समूह	बकोई केदमा	उदयपुर
16.	उशा स्वयं सहायता समूह	घाटबर्वा खम्हारपारा तारा	उदयपुर
17.	विकास बचत साख समिति	दरीपारा, अम्बिकापुर	अम्बिकापुर (गहरी)

टीप :- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित कार्यालयों में वर्ष 2008-09 में अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोश की ऋण योजनांतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने की जानकारी निरंक है। उक्त 17 समूहों को वर्ष 2009-10 छत्तीसगढ़ महिला कोश की ऋण योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन का प्रावधान नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग में विभाग की अनुदान योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

प्रपत्र “ब”

क्र.	समूह का नाम एवं पता	परियोजना का नाम
(1)	(2)	(4)
1.	अराधना स्व सहायता समूह गोधनपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
2.	देवश्री स्वयं सहायता समूह नवागढ़	अम्बिकापुर (ग्रा.)
3.	भातिमाता स्वयं सहायता समूह भगवानपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
4.	इंदिरा स्वयं सहायता समूह लखनपुर	लखनपुर
5.	पूर्णमा स्वयं सहायता समूह जमगला	लखनपुर
6.	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह उदयपुर	उदयपुर
7.	सरगम स्वयं सहायता समूह सुखरी	उदयपुर
8.	संध्या स्वयं सहायता समूह डेई उदयपुर	उदयपुर
9.	चंदा स्वयं सहायता समूह फूलचूही उदयपुर	उदयपुर
10.	चंदा स्वयं सहायता समूह खरसूरा बड़खापारा	उदयपुर
11.	महे वरी स्वयं सहायता समूह कोटमी	उदयपुर
12.	सरजू स्वयं सहायता समूह डोई उदयपुर	उदयपुर
13.	कृति स्वयं सहायता समूह सेमीघोघरा लक्ष्मणगढ़	उदयपुर
14.	रेनू स्वयं सहायता समूह लक्ष्मणगढ़	उदयपुर
15.	मिलन स्वयं सहायता समूह बकोई केदमा	उदयपुर
16.	उशा स्वयं सहायता समूह घाटबर्वा खम्हारपारा	उदयपुर
17.	विकास बचत साख समिति, दर्रीपारा, अम्बिकापुर	अम्बिकापुर (हरी)
18.	मां महामाया रेणुका स्वयं सहायता समूह गोधनपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
19.	िावानी स्वयं सहायता समूह रामपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
20.	साम्राज्य स्वयं सहायता समूह अम्बिकापुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
21.	सूर्यदल स्वयं सहायता समूह भगवानपुर	अम्बिकापुर (ग्रा.)
22.	ज्ञान बचत समूह नमनाकला	अम्बिकापुर (ग्रा.)
23.	प्रयास बचत महिला समूह पटपरिया	अम्बिकापुर (ग्रा.)
24.	एम. जी. बालाजी स्वयं सहायता समूह दर्रीपारा, अम्बिकापुर	अम्बिकापुर (हरी)

टीप :- वर्ष 2008-09 में छत्तीसगढ़ महिला कोश की ऋण योजनांतर्गत कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए. वर्ष 2009-10 महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ महिला कोश की ऋण योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 24 महिला स्व-सहायता समूहों के ऋण हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 17 महिला स्व-सहायता समूहों को वर्ष 2009-10 तथा 7 महिला स्व-सहायता समूहों को वर्ष 2010-11 में ऋण स्वीकृत किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग में विभाग की अनुदान योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए.

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारांकित प्र न संख्या 08 (क. 1358) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक	जिला का नाम	लाभान्वित मरीजों की संख्या	हृदय आपरे ान हेतु लाभान्वित मरीजों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धमतरी	26	23
2	.बस्तर	10	8
3.	कबीरधाम	10	7
4.	कांकेर	6	6
5.	कोरिया	13	8
6.	कोरबा	13	8
7.	महासमुंद	23	18
8.	बिलासपुर	36	23
9.	रायपुर	97	72
10.	रायगढ़	32	23
11.	राजनांदगांव	51	40
12.	सरगुजा	29	22
13.	दंतेवाड़ा	10	5
14.	दुर्ग	74	59
15.	जांजगीर	25	23
16.	ज ापुर	5	4
17.	नारायणपुर	0	0
18.	बीजापुर	0	0
	योग	460	349

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क. 1360) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

एड्स नियंत्रण समिति के अंतर्गत एन. जी. ओ. की जानकारी

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	कार्यरत जिला (3)	कार्य का नाम (4)
1.	चेतना चाइल्ड एवं वोमेन वेलफेयर सोसायटी	रायपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
2.	समता महिला मंडल	रायपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
3.	जन जागृति केन्द्र	रायपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
4.	पथ संस्था	रायपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
5.	वनदार्शन सामाजिक संस्था	कबीरधाम	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
6.	अस्था समिति	कवर्धा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
7.	प्रतिज्ञा विकास संस्थान	दुर्ग	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
8.	प्रतिज्ञा विकास संस्थान	दुर्ग	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
9.	विकास एवं अनुसंधान संस्थान	दुर्ग	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
10.	कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गेनाइजेशन	दुर्ग	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
11.	समर्पित	बिलासपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
12.	नवसंकल्प शिक्षण प्रशिक्षण समिति	बिलासपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
13.	नवयुवा जागरण प्रतिष्ठान	बिलासपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
14.	छ. ग. प्रचार एवं विकास संस्था	बिलासपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
15.	संजीवनी ग्रामीण विकास संस्था	मुंगेली (बिलासपुर)	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
16.	जनमित्रम कल्याण समिति	रायगढ़	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
17.	जन कल्याण सामाजिक संस्था	राजनांदगांव	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
18.	कल्प समाज सेवी संस्था	जांजगीर—चांपा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
19.	ग्राम मित्र समाज संस्था	जांजगीर—चांपा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
20.	पथ प्रदर्शक	सरगुजा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
21.	संगथा सहभागी ग्रामीण विकास संस्थान	सरगुजा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
22.	नवयुवा जागरण प्रतिष्ठान	जफ्फरपुर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
23.	छ. ग. जनजाति विकास परिशद्	कोरिया	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
24.	आदर्श नवयुवक मंडल	कोरबा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
25.	संगथा सहभागी ग्रामीण विकास संस्थान	कोरबा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
26.	मानव संसाधन संस्कृति विकास परिशद्	कोरबा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
27.	अक्षरा ग्रामोत्थान समिति	रायगढ़	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
28.	मानव संसाधन संस्कृति विकास परिशद्	रायगढ़	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
29.	जन जागृति केन्द्र	महासमुन्द्र	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
30.	सहभागी समाज सेवी संस्था	कांकेर	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
31.	सहभागी समाज सेवी संस्था	धमतरी	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
32.	बस्तर सामाजिक जन विकास समिति	बस्तर (जगदलपुर)	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
33.	सूरज समाज विकास संस्था	बस्तर (जगदलपुर)	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
34.	सृजन समाज संस्था	दंतेवाड़ा	लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम
35.	समर्थन, राज्य प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र	रायपुर	प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरएनटीसीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में कार्यरत एन. जी. ओ. की जानकारी

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	कार्यरत जिला (3)	कार्य का नाम (4)
1.	बर्ड्स कैथोलिक मिशन	बस्तर	(1) एम. पी. एम. अस्पताल अधनपुर जगदलपुर में -4-AB के तहत डी. एम. सी. व डॉटस् सेन्टर के रूप में कार्य. (2) नव ज्योति हेल्थ सेन्टर, पोटानार में स्पुटम कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्ट सेन्टर के रूप में कार्य कर रहा है. माइक्रोस्कोपिक कार्य
स्कीम			
2.	धमतरी किशन अस्पताल धमतरी (बठेना) एन. जी. ओ.	धमतरी	माइक्रोस्कोपिक कार्य
3.	पुश्पा हास्पिटल, दल्ली राजहरा जिला दुर्ग	दुर्ग	नि: शुल्क कफ परीक्षण केंद्र एवं नि: शुल्क डॉट सेंटर.
4.	केयर इण्डिया (छत्तीसगढ़) एवं वर्ल्ड विजन	कोरिया	टी. बी. नियंत्रण परियोजना का क्रियान्वयन.
5.	जगदीशपुर मिशन हास्पिटल (बसना)	महासमुन्द	टी. बी. के मरीजों की जांच कर उन्हें नि: शुल्क दवाईयां.
6.	पुश्पा हास्पिटल छुईपाली (सरायपाली)	महासमुन्द	टी. बी. के मरीजों की जांच कर उन्हें नि: शुल्क दवाईयां.
7.	जीवोदया, मिशन हास्पिटल, जीवोदया नगर अभनपुर	रायपुर	टी. बी. मरीजों का नि: शुल्क खंखार जांच एवं ईलाज.
8.	ज्योति मिशन हास्पिटल, लवन	रायपुर	टी. बी. मरीजों का नि: शुल्क खंखार जांच एवं ईलाज.
9.	छ.ग. प्रचार एवं विकास संस्थान अम्बिकापुर	सरगुजा	एसीएसएम स्कीम
10.	होलीनूर वेलफेयर सोसायटी अम्बिकापुर	सरगुजा	स्पेटम कलेक्शन स्कीम
11.	सबरी फाउण्डेशन लखनपुर	सरगुजा	स्पेटम स्कीम के लिए परिवहन सेवा.
12.	सरई सोशल एक्शन रिसर्च एण्ड एडोवोकेटरी इन्स्टीट्यूट सूरजपुर.	सरगुजा	ऐधेरेन्स स्कीम
13.	आंचलिक भौक्षणिक क्षेत्र विकास समिति सूरजपुर	सरगुजा	स्पेटम कलेक्शन स्कीम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत एन. जी. ओ. संबंधी जानकारी

कार्यक्षेत्र (जिला) (1)	एन. जी. ओ. का नाम (2)	कार्य प्रकृति (3)
धमतरी, कबीरधाम	संकल्प संस्कृति समिति, रायपुर	भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार MNGO योजना तहत प्रजनन एवं शिक्षा, स्वास्थ्य सुदृढीकरण, सामाजिक सहभागिता एवं जागरूकता संबंधी कार्य.
महासमुंद, कोरबा	महिला मंच, रायपुर	
बस्तर, कांकेर	श्री भांति विजय सेवा समिति, महासमुंद.	
रायपुर, राजनांदगांव	क्लीयर, रायपुर	
जगदलपुर	छत्तीसगढ़ जनजाति विकास परिशद.	
जांजगीर-चांपा	चांपा किचन हास्पिटल, जांजगीर	
दुर्ग	महिला बेरोजगार सेवा समिति, दुर्ग	
समस्त जिला, छत्तीसगढ़	चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (CINI), रायपुर.	जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के एन. आर. सी. प्रशिक्षण संबंधी कार्य.
समस्त जिला, छत्तीसगढ़	राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर.	मितानिन, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन, सुदृढीकरण, क्रियान्वयन एवं स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहयोग संबंधी कार्य.

अंधत्व नियंत्रण समिति अंतर्गत एन. जी. ओ. की जानकारी

जिला का नाम (1)	स्वयं सेवी संस्था का नाम (2)	कार्य का नाम (3)
रायपुर	डिविजन आफ्थल्मोलोजिकल सोसायटी रायपुर परागा मंडल बलौदाबाजार लायंस क्लब भाटापारा आटोनामस सोसायटी रायपुर श्री सर्वे वरी समूह बलौदाबाजार जागृति नवयुवक मंडल सिमगा ग्रासीम सीमेंट जनसेवा ट्रस्ट प्रेरक समिति गरियाबंद वल्लभ निधि ट्रस्ट चंपारन एम. जी. एम. आई. इंस्टीट्यूट अरविंदो आई रिसर्च सेंटर	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे नेत्रदान मोतियाबिन्द आपरे
नेत्रदान	जीवनदीप समिति डिस्ट्रीक्ट हास्पिटल रायपुर जागृति महिला बाल विकास कल्याण समिति जीवन दीप समिति बलौदाबाजार प्रेम प्रकाश सेवा ट्रस्ट श्री योग वेदान्त समिति लायंस क्लब आफ रायपुर वुमेन वी. केयर वेल फेयर सोसायटी रेडक्रास सोसायटी रायपुर जनस्वामी आई फाउंडेशन छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय मार्शल मेडिकल इंस्टीट्यूट सेन्चुरी सीमेंट सेवा ट्रस्ट बैकुण्ठ	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
सरगुजा	भारतीय रेडक्रास सोसायटी अम्बिकापुर जीवन दीप समिति वाङ्गफनगर जीवन दीप समिति सीतापुर जीवन दीप समिति बलरामपुर जीवन दीप समिति प्रतापपुर जीवन दीप समिति रामानुजगंज श्री सर्वे वरी समूह अम्बिकापुर लायंस क्लब अम्बिकापुर श्री सर्वे वरी समूह वाङ्गफनगर एम. एस. एस. व्ही. पी. अम्बिकापुर	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
जांजगीर	चांपा क्रिश्चन हास्पिटल अधोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा भाखा विवनीनारायण	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
नारायणपुर	रामकृष्ण मिशन आश्रम	मोतियाबिन्द आपरे
कोरिया	लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ वनस्थली सेवा समिति कोरिया भारतीय रेडक्रास सोसायटी कोरिया श्री सर्वे वरी समूह भाखा बैकुण्ठपुर	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे

(1)	(2)	(3)
	अधोर जनसेवा अभेद आश्रम पोड दल्हा अकलतरा सप्तगिरी सामाजिक कल्याण समिति दुर्ग दुर्ग डिविजनल आथा, सोसा भिलाई परिक्षत्रीय साहू संघ विकास खण्ड गुण्डरदेही डेक्कन प्रामिसिएन्ट एंड एडाप्सन सोसायटी दुर्ग	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
कांकेर	जीवन दीप समिति कांकेर जीवन दीप समिति भानुप्रतापपुर	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
बिलासपुर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी बिलासपुर श्री सर्वे वरी समूह बिलासपुर श्रद्धा महिला मंडल एस. ई. सी. एल. बिलासपुर संकल्प सेवा संस्थान बिलासपुर मि न अस्पताल मुंगेली जिला बिलासपुर मि न अस्पताल बैतलपुर जिला बिलासपुर बहुउददे पीय स्वास्थ्य समिति गौरेला	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
कोरबा	महिला मंडल बाल्को मैत्री महिला समिति एन. टी. पी. सी. जमनीपाली प्रेस क्लब कटघोरा सृष्टि महिला मंडल एस. ई. सी. एल. कोरबा श्रेया महिला मंडल एस. ई. सी. एल. गेवरा दीक्षा महिला मंडल एस. ई. सी. एल. दीपका भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला भाखा कोरबा	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
कबीरधाम	साईं दरबार सेवा समिति महावीर इंटरने नल भाखा कवर्धा जीवन दीप समिति स. लोहारा जीवन दीप समिति पंडरिया साईं राम सेवा समिति दुर्ग	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे च मा वितरण हेतु
बीजापुर	जानकारी निरंक	मोतियाबिन्द आपरे
बस्तर	जीवन ज्योति नेत्रालय जगदलपुर रामकृष्ण मि न आश्रम नारायणपुर जीवन दीप समिति तोकापाल जीवन दीप समिति बकावण्ड जीवन दीप समिति लोहण्डीगुडा जीवन दीप समिति बस्तर जीवन दीप समिति कोण्डागांव जीवन दीप समिति दरभा जीवन दीप समिति किलेपाल जीवन दीप समिति फरसगांव	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे
धमतरी	पूज्य रमाश्री जी प्रभाश्री जी स्मृति मंच धमतरी पूज्य रमाश्री जी प्रभाश्री जी जुनियर स्मृति मंच धमतरी	मोतियाबिन्द आपरे मोतियाबिन्द आपरे

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	कार्य का नाम (2)	राशि (रुपये में) (3)
1.	लक्षित हस्तक्षेप/प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु (एड्स)	12954087
2.	मोतियाबिन्द आपरे तन एवं नेत्रदान हेतु (अंधत्व)	12659397
3.	डीएमसी एवं डाट सेन्टर चलाने हेतु (आरएनटीसीपी)	300000
4.	टी. बी. मरीजों का जांच एवं ईलाज	20000
5.	आरएनटीसीपी की विभिन्न स्कीमों में कार्य करने हेतु	210923
6.	जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के एनआरसी प्रशिक्षण संबंधी कार्य	1314000
7.	मितानीन, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन, सुदृढीकरण, क्रियान्वयन एवं स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहयोग संबंधी कार्य.	48923969

2011

परिशिष्ट “उन्नीस”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1560) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्डों के नाम	कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चांपा (बम्हनीडीह)	179	177
2.	सक्ती	193	193
3.	जैजैपुर	167	145
4.	अकलतरा	206	197
5.	बलौदा	156	156
6.	पामगढ़	176	170
7.	नवागढ़	258	256
8.	मालखरौदा	156	162
9.	डभरा	187	183
योग		1678	1639

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1599) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स. क्र.	पटवारी हल्का नं.	लंबित नामान्तरण प्रकरणों की संख्या	विवादित नामान्तरण के निराकृत प्रकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	6	0
2.	2	2	1
3.	3	4	6
4.	4	4	1
5.	5	2	2
6.	6	2	0
7.	7	1	1
8.	8	1	1
9.	9	3	2
10.	10	1	1
11.	11	0	2
12.	12	3	6
13.	13	1	3
14.	14	0	1
15.	15	4	2
16.	16	1	1
17.	17	3	4
18.	18	3	3
19.	19	0	6
20.	20	4	4
21.	21	0	3
22.	22	2	3
23.	23	0	0
24.	24	3	2
25.	25	0	6
26.	26	0	4
27.	27	2	10
28.	28	5	14
29.	38	1	6
30.	39	2	3
31.	40	1	1
32.	41	3	0

2011

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	42	1	4
34.	43	2	1
35.	44	0	3
36.	45	2	2
37.	46	4	2
38.	47	5	4
39.	48	1	4
40.	49	0	0
41.	50	0	0
42.	51	2	5
योग :		81	124

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 14 (क. 1722) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायपुर जिले की विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा के अंतर्गत सोसायटी एवं धान खरीदी केन्द्रों की सूची

क्र.	विकासखंड का नाम	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11	
		समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भाटापारा	अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी
2.		मल्दी	मल्दी	मल्दी	मल्दी
3.		खोखली	खोखली	खोखली	खोखली
4.		टेहका	धुराबांधा	टेहका	धुराबांधा
5.		गुरा	गुरा	गुरा	गुरा
6.		भाटापारा	देवरी	भाटापारा	देवरी
7.			तरेगा		तरेगा
8.		खैरा	खैरा	खैरा	खैरा
9.			पाटन		पाटन
10.			धनेली		धनेली
11.			बिटकुली		बिटकुली
12.		निपनिया	निपनिया	निपनिया	निपनिया
13.			मोपका		मोपका
14.		लेवई	लेवई	लेवई	लेवई
15.			सिंगारपुर		सिंगारपुर
16.		कैला	करहीबाजार	कैला	करहीबाजार
योग		10	16	10	16
1.	सिमगा	रोहरा	रोहरा	रोहरा	रोहरा
2.		दामाखेड़ा	दामाखेड़ा	दामाखेड़ा	दामाखेड़ा
3.			मनोहरा		मनोहरा
4.			मोहभट्टा		मोहभट्टा
5.		चौरेगा	चंदेरी	चौरेगा	चंदेरी
6.		विश्रामपुर	ढेकुना	विश्रामपुर	ढेकुना
7.		सिमगा	सिमगा	सिमगा	सिमगा
8.		पौसरी	पौसरी	पौसरी	पौसरी
9.		जागड़ा	जागड़ा	जागड़ा	जागड़ा
10.		खिलौरा	कैला	खिलौरा	कैला
11.			संकरी		संकरी
12.		बिटकुली	बिटकुली	बिटकुली	बिटकुली
13.			नवापारा		नवापारा
14.		फरहदा	जरौद	फरहदा	जरौद
15.		हथबंद	हथबंद	हथबंद	हथबंद
16.			डोगरिया		डोगरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.		रावन	रावन	रावन	रावन
18.		िकासीके ली	िकासीके ली	िकासीके ली	िकासीके ली
19.		मोहरा	मोहरा	मोहरा	मोहरा
20.		सुहेला	सुहेला	सुहेला	सुहेला
21.			खपराडीह		खपराडीह
22.		सकलोर	भटभेरा	सकलोर	भटभेरा
	योग	16	22	16	22
	कुल योग	26	38	26	38

प्रपत्र "ब"

रायपुर जिले की विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा के अंतर्गत सोसायटियों को प्रदाय बारदानों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	वर्ष 2009-10 में कुल बारदाना प्रदाय	वर्ष 2010-11 में कुल बारदाना प्रदाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भाटापारा	अर्जुनी	अर्जुनी	154615	174500
2.		मल्दी	मल्दी	98283	95000
3.		खोखली	खोखली	91376	77000
4.		टेहका	धुराबांधा	68299	90000
5.		गुरा	गुरा	61761	62000
6.		भाटापारा	देवरी	63500	52000
7.			तरेगा	86745	85000
8.		खैरा	खैरा	16500	30000
9.			पाटन	30000	33000
10.			धनेली	19000	40000
11.			बिटकुली	20000	35000
12.		निपनिया	निपनिया	53500	101500
13.			मोपका	42500	55500
14.		लेवई	लेवई	95888	107050
15.			सिंगारपुर	63907	66500
16.		कें आला	करहीबाजार	42981	87500
योग		10	16	1008855	1191550
1.	सिमगा	रोहरा	रोहरा	82589	86500
2.		दामाखेड़ा	दामाखेड़ा	104670	104500
3.		मनोहरा		58534	56000
4.			मोहभट्टा	46500	40000
5.		चौरेगा	चंदेरी	104015	103000
6.		विश्रामपुर	ढेकुना	174791	170000
7.		सिमगा	सिमगा	107950	94000
8.		पौसरी	पौसरी	155500	133500
9.		जागड़ा	जागड़ा	81250	79950
10.		खिलौरा	के आली	68452	67500
11.			संकरी	80425	75500
12.		बिटकुली	बिटकुली	37500	38500
13.			नवापारा	37180	39500
14.		फरहदा	जरौद	70457	80500
15.		हथबंद	हथबंद	52500	57490
16.			डोगरिया	63650	70000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.		रावन	रावन	115882	113425
18.		िकासीके ली	िकासीके ली	91150	98500
19.		मोहरा	मोहरा	141614	134100
20.		सुहेला	सुहेला	60815	57000
21.			खपराडीह	65527	67000
22.		सकलोर	भटभेरा	105501	105000
	योग	16	22	1906452	1871465
	कुल योग	26	38	2915307	3063015

प्रपत्र "स"

रायपुर जिले की विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा के अंतर्गत सोसायटियों द्वारा धान खरीदी की जानकारी

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	वर्ष 2009-10 में कुल धान खरीदी की मात्रा	वर्ष 2010-11 में कुल धान खरीदी की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भाटापारा	अर्जुनी	अर्जुनी	61846.00	68179.20
2.		मल्दी	मल्दी	39313.20	33232.40
3.		खोखली	खोखली	34550.40	29782.40
4.		टेहका	धुराबांधा	27318.40	32465.50
5.		गुरा	गुरा	24544.40	23684.80
6.		भाटापारा	देवरी	25040.00	20015.60
7.			तरेगा	34698.00	30652.00
8.		खैरा	खैरा	6250.80	10482.80
9.			पाटन	9915.60	12624.00
10.			धनेली	6815.60	13460.80
11.			बिटकुली	7832.40	12800.00
12.		निपनिया	निपनिया	20633.20	35095.20
13.			मोपका	16326.80	20397.20
14.		लेवई	लेवई	38354.00	39388.40
15.			सिंगारपुर	25562.80	25533.20
16.		कें आला	करहीबाजार	16792.40	33334.00
योग		10	16	395794.00	441127.50
1.	सिमगा	रोहरा	रोहरा	33035.60	32497.60
2.		दामाखेड़ा	दामाखेड़ा	41868.00	41155.20
3.			मनोहरा	22213.60	21536.00
4.			मोहभट्टा	16890.40	15064.40
5.		चौरेगा	चंदेरी	41606.00	39686.80
6.		विश्रामपुर	ढेकुना	69916.40	66823.60
7.		सिमगा	सिमगा	43125.20	36373.20
8.		पौसरी	पौसरी	61835.60	52413.60
9.		जागड़ा	जागड़ा	32417.20	31382.40
10.		खिलौरा	के आली	26707.60	25884.00
11.			संकरी	31849.60	27282.40
12.		बिटकुली	बिटकुली	14871.80	13038.40
13.			नवापारा	14818.80	13700.40
14.		फरहदा	जरौद	28180.40	31662.00
15.		हथबंद	हथबंद	20870.00	18492.80
16.			डोगरिया	25001.60	25708.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.		रावन	रावन	45892.40	43461.00
18.		िकासीके ाली	िकासीके ाली	35413.60	36060.00
19.		मोहरा	मोहरा	56525.60	53298.00
20.		सुहेला	सुहेला	24116.00	22150.00
21.			खपराडीह	26180.80	23909.80
22.		सकलोर	भटभेरा	41995.60	37004.00
	योग	16	22	755331.80	708583.60
	कुल योग	26	38	1151125.80	1149711.10

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2317) की जानकारी]

क्र.	संस्था का नाम	अधिकारी		कर्मचारी	
		कार्य.	रिक्त	कार्य.	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सामु. स्वा. केन्द्र खरौद	1	7	23	8
2.	प्राथ. स्वा. केन्द्र, पामगढ़	2	0	8	0
3.	प्राथ. स्वा. केन्द्र मुलमुला	0	2	5	3
4.	प्राथ. स्वा. केन्द्र बारगांव	0	2	4	1
5.	प्राथ. स्वा. केन्द्र राहौद	0	2	0	5
6.	प्राथ. स्वा. केन्द्र सलखन	0	2	5	3
7.	प्राथ. स्वा. केन्द्र केरा	1	1	3	2
8.	उपस्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़	स्वीकृत नहीं		1	1
9.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, चांडीपारा	स्वीकृत नहीं		2	0
10.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, भैसों	स्वीकृत नहीं		2	0
11.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, बोरसी	स्वीकृत नहीं		1	1
12.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कोसा	स्वीकृत नहीं		2	0
13.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कोनार	स्वीकृत नहीं		1	1
14.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, मुलमुला	स्वीकृत नहीं		1	1
15.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, भिलौनी	स्वीकृत नहीं		2	0
16.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, डोगाकौहरौद	स्वीकृत नहीं		2	0
17.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, हिरी	स्वीकृत नहीं		2	0
18.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, ससहा	स्वीकृत नहीं		1	1
19.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, जेवरा	स्वीकृत नहीं		1	1
20.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, रसौटा	स्वीकृत नहीं		2	0
21.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कोड़ाभाट	स्वीकृत नहीं		1	1
22.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, राहौद	स्वीकृत नहीं		2	0
23.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, महका	स्वीकृत नहीं		1	1
24.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, बारगांव	स्वीकृत नहीं		1	1
25.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कोसला	स्वीकृत नहीं		2	0
26.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, सिल्ली	स्वीकृत नहीं		2	0
27.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, लगरा	स्वीकृत नहीं		1	1
28.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, लोहसी	स्वीकृत नहीं		2	0
29.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, धरदेई	स्वीकृत नहीं		1	1
30.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, तिवारीपारा	स्वीकृत नहीं		1	1
31.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, सुकुलपारा	स्वीकृत नहीं		1	1
32.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, खोरसी	स्वीकृत नहीं		2	0
33.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, तनौद	स्वीकृत नहीं		1	1

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, बुंदेला	स्वीकृत नहीं		0	2
35.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, सलखन	स्वीकृत नहीं		1	1
36.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, गोधना	स्वीकृत नहीं		2	0
37.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, भठली	स्वीकृत नहीं		1	1
38.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, शिवरीनारायण	स्वीकृत नहीं		1	1
39.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, रिंगनी	स्वीकृत नहीं		1	1
40.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कचन्दा	स्वीकृत नहीं		1	1
41.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कुरियारी	स्वीकृत नहीं		1	1
42.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, केरा	स्वीकृत नहीं		0	2
43.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, नगारीडीह	स्वीकृत नहीं		1	1
44.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कनस्दा	स्वीकृत नहीं		2	0
45.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, कटौद	स्वीकृत नहीं		1	1
46.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, मिस्दा	स्वीकृत नहीं		0	2
47.	उपस्वास्थ्य केन्द्र, तुस्मा	स्वीकृत नहीं		1	1

परिशिष्ट “तेईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2361) की जानकारी]

दिनांक 01-03-2011 की स्थिति में ऋण माफी योजनान्तर्गत लाभान्वित किसानों की जानकारी

क्र.	बैंक का नाम	ऋण माफी योजनान्तर्गत	
		तैयार प्रकरण	लाभान्वित किसान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छ. ग. राज्य सहकारी बैंक	271532	271436
2.	छ. ग. राज्य सह. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक.	10808	10808
3.	अन्य वाणिज्यिक बैंक एवं ग्रामीण बैंक.	286732	286732
योग		569072	568976

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2372) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक (1)	महाविद्यालय के नाम व स्थान (2)	मान्यता तिथि क्रमांक सहित (3)	रिमार्क (4)
----------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------

आयुर्वेद

1.	श्री एन. पी. अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जी. ई. रोड रायपुर छ. ग.	R17011/15/2009-EP dt 18-9-2010	2010-11 हेतु मान्यता
2.	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चंद्रखुरी दुर्ग छ. ग.	R17011/16/2009-EP dt 29-7-2010	2010-11 हेतु मान्यता
3.	छ. ग. आयुर्वेद मेडिकल कालेज मनकी, जिला राजनांदगांव छ. ग.	-	2010-11 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं छ. ग. आयुर्वेद मेडिकल कालेज मनकी राजनांदगांव को सत्र 2010- 11 में मान्यता प्राप्त न होने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया है.

होम्योपैथी

1.	सी. एल. चौकसे मेमोरियल हेम्योपैथी मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर बिलासपुर छ. ग.	R11011/03/2003-EP (Pt) dt 25-9-2004	2003-04 से मान्यता निरंतर.
2.	महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कालेज, ऋषभ एन्कलेव के पास, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर छ. ग.	R11011/03/2003-EP (Pt) dt 25-9-2004	2003-04 से मान्यता निरंतर. संचालक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग के पत्र क्र. R13040/ 34/ 2007-HD (Tech) dt 12-11-
10	रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, रामकुण्ड, रायपुर छ. ग.	R11011/03/2003-EP (Pt) dt 25-9-2004	2004-05 से मान्यता निरंतर. द्वारा रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कालेज रायपुर एवं महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कालेज रायपुर के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. उक्त रोक सत्र 2010-11 में छात्रों के प्रवेश लेने के बाद लगाई गई है. भारत सरकार को वस्तुस्थिति दर्शाते हुए दिनांक 14-1-2011 को

विभाग

द्वारा पत्र लिखा गया है.

परिशिष्ट “पच्चीस”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2425) की जानकारी]

स. क्र.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय का नाम	तहसील का नाम	रिक्त होने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प. ह. नं. 03 बैहाटोला	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
2.	प. ह. नं. 06 ईटार	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
3.	प. ह. नं. 08 खम्हारडीह	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
4.	प. ह. नं. 14 ठेलकाडीह	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
5.	प. ह. नं. 24 नवांगांवकला	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
6.	प. ह. नं. 26 दिलीपपुर	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
7.	प. ह. नं. 27 भूलाटोला	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
8.	प. ह. नं. 32 अतरिया	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
9.	प. ह. नं. 35 धनगांव	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
10.	प. ह. नं. 37 करमतरा	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
11.	प. ह. नं. 38 जालबांधा	खैरागढ़	अक्टूबर 2009
12.	प. ह. नं. 06 बिजेतला	राजनांदगांव	जनवरी 2010
13.	प. ह. नं. 34 अंजोरा	राजनांदगांव	फरवरी 2011
14.	प. ह. नं. 41 सिंघोला	राजनांदगांव	अगस्त 2010
15.	प. ह. नं. 25 करमतरा	डोंगरगांव	अक्टूबर 2010
16.	प. ह. नं. 11 आसरा	डोंगरगांव	दिसम्बर 2010
17.	प. ह. नं. 06 मुढिया	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
18.	प. ह. नं. 08 बिल्हरी	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
19.	प. ह. नं. 22 टाटेकसा	डोंगरगढ़	वर्ष 2007
20.	प. ह. नं. 25 मढियान	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
21.	प. ह. नं. 29 अण्डी	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
22.	प. ह. नं. 31 गाजमर्गा	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
23.	प. ह. नं. 35 पटपर	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
24.	प. ह. नं. 38 मेढा	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
25.	प. ह. नं. 39 डुण्डेरा	डोंगरगढ़	वर्ष 2007 से
26.	प. ह. नं. 02 मिरचे	अं. चौकी	अक्टूबर 2009 से
27.	प. ह. नं. 05 खोरोटोला	अं. चौकी	अक्टूबर 2009 से
28.	प. ह. नं. 07 खुर्सीपार	अं. चौकी	अप्रैल 2010 से
29.	प. ह. नं. 11 हितागुटा	अं. चौकी	2003-04 से
30.	प. ह. नं. 16 हिताकसा	अं. चौकी	अक्टूबर 2008 से
31.	प. ह. नं. 20 भडसेना	अं. चौकी	2009 से
32.	प. ह. नं. 24 परसाटोला	अं. चौकी	2009 से
33.	प. ह. नं. 25 देववाडवी	अं. चौकी	2009 से

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	प. ह. नं. 07 डोकला	मानपुर	2007 से
35.	प. ह. नं. 08 खडगांव	मानपुर	2007 से
36.	प. ह. नं. 14 टोहे	मानपुर	2007 से
37.	प. ह. नं. 20 बोडेगांव	मानपुर	2007 से
38.	प. ह. नं. 04 पाटेकोहरा	छुरिया	2008 से
39.	प. ह. नं. 05 छुरियाकला	छुरिया	2008 से
40.	प. ह. नं. 07 शिकारीमहका	छुरिया	2008 से
41.	प. ह. नं. 10 गोपालपुर	छुरिया	2008 से
42.	प. ह. नं. 20 रामतराई	छुरिया	2011 से
43.	प. ह. नं. 26 बागद्वार	छुरिया	2008 से
44.	प. ह. नं. 39 बरबसपुर	छुरिया	2008 से
45.	प. ह. नं. 33 भंडारीभरदा	छुरिया	2008 से
46.	प. ह. नं. 35 गिदरी	छुरिया	2008 से
47.	प. ह. नं. 38 मटिया	छुरिया	2008 से
48.	प. ह. नं. 02 देवपुराघाट	छुईखदान	2004 से
49.	प. ह. नं. 12 नेवासपुर	छुईखदान	2004 से
50.	प. ह. नं. 13 गण्डई	छुईखदान	2004 से
51.	प. ह. नं. 17 उदान	छुईखदान	2004 से
52.	प. ह. नं. 19 बुन्देली	छुईखदान	2004 से
53.	प. ह. नं. 20 सीताडबरी	छुईखदान	2004 से
54.	प. ह. नं. 22 अतरिया	छुईखदान	2004 से
55.	प. ह. नं. 27 गातापार	छुईखदान	2004 से
56.	प. ह. नं. 29 छुईखदान	छुईखदान	2004 से
57.	प. ह. नं. 30 पदमावतीपुर	छुईखदान	2004 से
58.	प. ह. नं. 01 वासडी	मोहला	2004 से
59.	प. ह. नं. 03 भोजटोला	मोहला	2004 से
60.	प. ह. नं. 08 मोहला	मोहला	2004 से

परिशिष्ट “छब्बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2437) के भाग (क) की जानकारी]

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी-टू-ईट से संबंधित महिला स्व सहायता समूहों का विवरण

क्रमांक (1)	रेडी-टू-ईट प्रदाय हेतु चयनित महिला स्व सहायता समूहों का नाम (2)
1.	जय शीतला मां महिला स्व सहायता समूह, गौरखेड़ा महासमुंद
2.	जय मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह, महासमुंद
3.	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह, क्लबपारा, महासमुंद
4.	भवानी स्व सहायता समूह, खोपली
5.	आदर्श बहिनी स्व सहायता समूह, अमुर्दा
6.	कस्तुरबा स्व सहायता समूह, बंसुलाडबरी
7.	जय मां कमला स्व सहायता समूह, टेडीनारा
8.	जय मां दुर्गा भवानी महिला स्व सहायता समूह, कुसमी
9.	कर्मा महिला स्व सहायता समूह, हाड़ाबंद
10.	दुर्गा स्व सहायता समूह, गड़बेड़ा
11.	बम्लेश्वरी महिला समूह, अठठारहगुठी

परिशिष्ट “सत्ताईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2441) के भाग (ख) की जानकारी]

रेडी-टू-ईट फूड निर्माण से संबंधित इकाईयों का विवरण

क्रमांक (1)	रेडी-टू-ईट उत्पादन करने वाली इकाई (स्वसहायता समूह) का नाम (2)
1.	लक्ष्मी स्वसहायता समूह दलदलसिवनी
2.	गणेशी महिला स्वसहायता समूह अमलीडीह
3.	प्रगति महिला स्वसहायता समूह आमासिवनी
4.	दुर्गा स्वसहायता समूह सारागांव
5.	ग्रामीण महिला स्वसहायता समूह आमासिवनी
6.	बंजारी माता स्वयं सहायता बहिनी समूह गुमा
7.	जय अम्बे जागरूक महिला स्वसहायता समूह बीरगांव
8.	मोर मितानीन स्वसहायता समूह उरला
9.	लक्ष्मी अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह मलौद
10.	जय त्रिवेणी संगम समूह धनेली
11.	शारदा स्वसहायता समूह तु. नेवरा
12.	जय मां अम्बे स्वसहायता समूह माठ
13.	वैभवशक्ति स्वसहायता समूह खरोरा
14.	जागृति स्वसहायता समूह ईल्दा